रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/94 REGISTERED NO. DL-33001/94

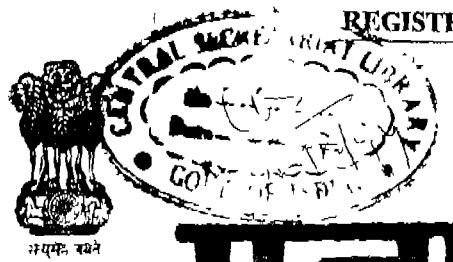

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 2, 1994/ चैत्र 12, 1916
No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 2, 1994/CHAITRA 12, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1994

सा.का.नि. 154:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, कम्पनी कार्य विभाग में अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1983 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) में अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन)	3* (1993) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	1640-60-2600-द.रो.-75-2900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा
11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) में केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी, जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों के ऐसे अधिकारी :— (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, (2) जिन्होंने 1400-2600/1400-2300 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य है और जिसने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध

12
संस्थान से बुनियादी प्रबन्ध पाठ्यक्रम या कि किसी अन्य संस्था से तुल्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है या करने के लिए पात्र है। वांछनीय : कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान। टिप्पण : यदि किसी ऐसे अधिकारी का, जिसने अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया है, चयन हो जाता है कि उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह प्रतिनियुक्ति पद पर बने रहने के लिए अपनी नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर उक्त पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर ले। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है
13	14
लागू नहीं होता	नियमों को शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

[फा.सं. ए-12011/5/93-प्रशा-3]

उमेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 20th January, 1994

G.S.R. 154.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Law, Justice & Company Affairs, Department of Company Affairs, Research Assistant (Work Study) Recruitment Rules, 1983, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Assistant (Work Study) in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, (Department of Company Affairs), namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, (Department of Company Affairs), Research Assistant (Work Study) Recruitment Rules, 1993.

(2) They shall come into froce on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post ;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	No. of post.	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Research Assistant (Work Study)	3* (1993) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B'—Non Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900	Not applicable.	Not applicable.

Whether benefits of added years of Service admissible under rule. 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and eduational qualifications prescribed for direct. recruits will apply in the case of promotees	Priod of probation, if any.
7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.
11	12
By transfer on deputation	Transfer of deputation Officers under the Central Government in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, (Department of Company Affairs), failing which officers of other Ministries/Departments of the Central Government.— (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with five year's regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2600/-1400-2300 or equivalent; and (b) possessing degree of a recognised University or equivalent and having completed successfully or be eligible to undergo the Basic Management Service Course of the Institute of Secretariat Training and Management or comparable training course in any other institution. Desirable .—Knowledge of Computer Operation Note. —If any officer, who has not already successfully completed the requisite training course is selected he shall be required to pass the said course with in one year of his appointment for his continuance in the deputation post. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment with the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
13	14
Not applicable.	The UPSC shall be consulted while making relaxation of the rules.

[F.No. A-12011/5/93-Admn. III]

UMESH KUMAR, Under Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1994

सा.का.नि. 155—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 1969 की अनुसूची 1 में, उप-निरीक्षक (कार्यपालक) के पद के सामने,—

(1) स्तंभ 2 में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"3427 (1994)*

*"कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है"

(2) स्तंभ 4 में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"1400-40-1800-द.रो.-50-2300 रु.";

(3) स्तंभ 6 में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"20 वर्ष से 25 वर्ष

(विभागीय अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)

टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।",

(4) स्तंभ 7 में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"शैक्षिक अर्हताएं

(क) आवश्यक :

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य।

(ख) वांछनीय :

उसके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर "ख" या "ग" प्रमाण पत्र या उत्कृष्ट खेलकूद या क्रीड़ा प्रमाण पत्र हो।

शारीरिक मान

ऊंचाई	167.5 सें.मी.
सीना	81—86 सें.मी. (फुलाने के पश्चात्)
भार	ऊंचाई के अनुसार

टिप्पण 1 :—पहाड़ी व्यक्ति व आदिवासी जिसके अन्तर्गत मिजो व नागा भी हैं के लिए सीने का माप निम्न प्रकार से होगा :

(1) पहाड़ी व्यक्ति 78—83 सें.मी.

(2) आदिवासी जिसके अंतर्गत मिजो और नागा भी हैं 77—82 सें.मी.

टिप्पण—2 : पहाड़ी व्यक्ति और जनजाति व्यक्तियों अर्थात् गोरखा, गढ़वाली, कुमायूनी, डोगरा, मराठा और आदिवासी जिसके अन्तर्गत मिजो और नागा भी हैं, के लिए ऊंचाई 165 से.मी. होगी।

चिकित्सा मान :

(क) दृष्टि शक्ति

दूर की दृष्टि बेहतर आंख	खराब आंख	निकट की दृष्टि
(ठीक की हुई दृष्टि)		(ठीक की हुई दृष्टि)
6/6	6/12	
या		जे. I जे. II
6/9	6/9	

टिप्पण :—नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को रंग-दृष्टि परीक्षण पास करना होगा।

(ख) अभ्यर्थियों के मतंजानु, चपटे पैर या आंखों में तिर्यक नहीं होना चाहिए। उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उन्हें ऐसी शारीरिक कमी से भी मुक्त होना चाहिए जो उनके दक्ष कर्तव्य पालन में व्यवधान डाल सकती हो।

(5) स्तंभ 9 में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और विकल्प देने वालों के लिए दो वर्ष।"

(6) स्तंभ 10 में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) 10 प्रतिशत औद्योगिक उपक्रमों से आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा।

(2) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिस के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।

(3) 40 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा"।

[सं. ई-32012/1/85-एल एंड आर (सीआईएसएफ/कार्मिक-1]

आर. शंकर नारायणन, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ. 4632 तारीख 14-11-69 किए गए थे और तत्पश्चात् उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया

1. सा.का.नि. 1912 तारीख 28-11-1970
2. का.आ. 444 तारीख 5-2-1972
3. का.आ. 1752 तारीख 15-7-1972
4. सा.का.नि. 656 तारीख [illegible]-6-1973
5. सा.का.नि. 102 तारीख 26-1-1974
6. सा.का.नि. 262 तारीख 28-2-1976
7. सा.का.नि. 861 तारीख 12-6-1976
8. सा.का.नि. 127 तारीख 29-1-1977
9. सा.का.नि. 132[illegible] तारीख 8-10-1977
10. का.आ. 3669 तारीख 3-12-1977
11. सा.का.नि. 697 तारीख 3-6-1978
12. का.आ. 1648 तारीख 10-6-1976
13. सा.का.नि. 848 तारीख 1-7-1978

14. सा.का.नि. 564 तारीख 21-4-1979
15. सा.का.नि. 940 तारीख 4-7-1979
16. सा.का.नि. 544 तारीख 17-5-1980
17. सा.का.नि. 958 तारीख 16-8-1980
18. सा.का.नि. 1040 तारीख 5-12-1981
19. सा.का.नि. 1109 तारीख 19-12-1981
20. का.आ. 167 तारीख 23-1-1982
21. सा.का.नि. 189 तारीख 27-3-1982
22. सा.का.नि. 331 तारीख 3-4-1982
23. सा.का.नि. 919 तारीख 13-11-1982
24. सा.का.नि. 997 तारीख 15-12-1982
25. सा.का.नि. 50 तारीख 15-1-1983
26. सा.का.नि. 195 तारीख 5-3-1983
27. सा.का.नि. 386 तारीख 21-5-1983
28. सा.का.नि. 455 तारीख 25-6-1983
29. सा.का.नि. 732 तारीख 8-10-1983
30. सा.का.नि. 805 तारीख 5-11-1983
31. सा.का.नि. 2 तारीख 7-1-1984
32. सा.का.नि. 159 तारीख 18-2-1984
33. सा.का.नि. 220 तारीख 3-3-1984
34. सा.का.नि. 815 तारीख 4-8-1984
35. सा.का.नि. 1241 तारीख 15-12-1984
36. सा.का.नि. 1323 तारीख 29-12-1984
37. सा.का.नि. 225 तारीख 2-3-1985
38. सा.का.नि. 789 तारीख 24-8-1985
39. सा.का.नि. 595 तारीख 16-8-1986
40. सा.का.नि. 1191 तारीख 7-12-1986
41. सा.का.नि. 710 तारीख 6-9-1987
42. सा.का.नि. 711 तारीख 26-9-1987
43. सा.का.नि. 19 तारीख 16-1-1988
44. सा.का.नि. 186 तारीख 26-3-1988
45. सा.का.नि. 315 तारीख 23-4-1988
46. सा.का.नि. 102 तारीख 21-5-1988
47. सा.का.नि. 609 तारीख 30-7-1988
48. सा.का.नि. 785 तारीख 8-10-1988
49. सा.का.नि. 993 तारीख 31-12-1988
50. सा.का.नि. 74 तारीख 11-2-1989
51. सा.का.नि. 190 तारीख 25-3-1989
52. सा.का.नि. 188 तारीख 22-7-1989
53. सा.का.नि. 33(अ) तारीख 25-1-1990
54. सा.का.नि. 330 तारीख 26-5-1990
55. सा.का.नि. 503 तारीख 18-8-1990
56. सा.का.नि. 1 तारीख 5-1-1991
57. सा.का.नि. 11 तारीख 12-1-1991
58. सा.का.नि. 79 तारीख 9-2-1991
59. सा.का.नि. 284 तारीख 4-5-1991
60. सा.का.नि. 354 तारीख 15-6-1991
61. सा.का.नि. 505 (अ) तारीख 13-7-1993

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 22nd March, 1994

G.S.R. . 155—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1958 (50 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Industrial Security Force Rules, 1969, namely :—

1. (i) These rules may be called the Central Industrial Security Force (Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In schedule I, to the Central Industrial Security Force Rules, 1969, against the post of Sub-Inspector (Executive),

(1) in column 2, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"3427 (1994)

Subject to variation depending on work load".

(2) in column 4, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300"

(3) in column 6, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"20 to 25 years (relaxable upto 35 years in the case of departmental candidates)

Note :—The crucial date for determining the age limit shall be as specified by Staff Selection Commission".

(4) in column 7, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

(i) Educational qualifications :

(a) Essential : Degree of a recognised University or equivalent.

(b) Desirable : Possession of NCC 'B' or 'C' certificate or outstanding sports or athletic certificate.

(ii) Physical standards :

Height : 167.5 Cms.

Chest : 81—86 Cms (after expansion)

Weight : Corresponding to height.

Note 1 :—The chest measurements for Hillmen and Adivasis including Mizos and Nagas are as under :—

(i) Hillman 78—83 cms.

(ii) Adivasis including Mizos and Nagas 77—82 cms.

Note 2 :—The height measurements for Hillmen and Tribesmen namely Gorkhas, Gaharwalies, Kumaonese, Dogras, Marathas and Adivasis including Mizos and Nagas would be 165 cms.

Medical Standards :

(a) Eye sight

Distant vision			
Better eye (corrected vision)	Worse eye	Near vision (corrected vision)	
6/6	6/12		
OR			
6/9	6/9	J.I	J.II

Note :Candidates for appointment are required to pass colour vision test.

(b) The candidates must not have knock knees, flat feet or squint in eyes. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

(5) in column 9 for the entry, the following entry shall be substituted, namely;

"2 years for direct recruits and optees".

(6) in column 10, for the entry, the following entry shall be substituted, namely;

"(i) 10% by absorption from industrial undertakings, failing which by promotion.

(ii) 50% by promotion, failing which by transfer on deputation.

(iii) 40% by direct recruitment".

[No. E-32012/1/85-L&R(CISF) PERS-I]

R. SANKARANARAYANAN, Under Secy

Food Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide S.O. No. : 4632 dated the 14th November, 1969 and subsequently amended by

01. GSR 1942 dated 28-11-1970
02. SO 444 dated 05-02-1972
03. SO 1752 dated 15-07-1972
04. GSR 656 dated 23-06-1973
05. GSR 102 dated 26-01-1974
06 GSR 262 dated 28-02-1976
07. GSR 861 dated 12-06-1976
08. GSR 127 dated 29-01-1977
09. GSR 1325 dated 08-10-1977
10. SO 3669 dated 03-12-1977
11. GSR 697 dated 03-06-1978
12. SO 1648 dated 10-06-1978
13. GSR 848 dated 01-07-1978
14. GSR 564 dated 21-04-1979
15. GSR 940 dated 04-07-1979
16. GSR 544 dated 17-05-1980
17. GSR 858 dated 16-08-1980
18. GSR 1049 dated 05-12-1980
19. GSR 1109 dated 19-12-1981
20. SO 167 dated 23-01-1982
21. GSR 189 dated 27-02-1982
22. GSR 331 dated 03-04-1982
23. GSR 919 dated 13-11-1982
24. GSR 997 dated 15-12-1982
25. GSR 50 dated 15-01-1983
26. GSR 195 dated 05-03-1983
27 GSR 386 dated 21-05-1983
28. GSR 455 dated 25-06-1983
29. GSR 732 dated 08-10-1983
30. GSR 803 dated 05-11-1983
31. GSR 02 dated 07-01-1984
32. GSR 159 dated 18-02-1984
33. GSR 220 dated 03-03-1984
34. GSR 815 dated 04-08-1984
35. GSR 1241 dated 15-12-1984
36. GSR 1323 dated 29-12-1984
37. GSR 225 dated 02-03-1985
38. GSR 789 dated 24-08-1985
39. GSR 595 dated 16-08-1986
40. GSR 1101 dated 27-12-1986
41. GSR 710 dated 26-09-1987
42. GSR 711 dated 26-09-1987
43. GSR 19 dated 16-01-1988
44. GSR 186 dated 26-03-1988
45. GSR 315 dated 23-04-1988
46. GSR 104 dated 21-05-1988
47. GSR 609 dated 30-07-1988
48. GSR 785 dated 08-10-1980
49. GSR 993 dated 31-12-1988
50. GSR 74 dated 11-02-1989
51. GSR 190 dated 25-03-1989
52. GSR 488 dated 22-07-1989
53. GSR 33(E) dated 25-01-1990
54. GSR 330 dated 28-05-1990
55. GSR 503 dated 18-08-1990
56. GSR 01 dated 05-01-1991
57. GSR 11 dated 12-01-1991
58. GSR 79 dated 09-02-1991
59. GSR 284 dated 04-05-1991
60. GSR 354 dated 15-06-1991
61. GSR 505(E) dated 13-07-1993

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, 1 मार्च, 1994

सा.का.नि. 156.—विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 83 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (1) के अनुसरण में, तथा दिनांक 12 मार्च, 1992 की अपनी अधिसूचना सं. फेरा 112/92-आरबी के अधिक्रमण में रिज़र्व बैंक निम्न-लिखित के लिए सहर्ष अनुमति प्रदान करता है:—

(i) 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाई को अथवा निर्यात अभि-संस्करण क्षेत्र अथवा सास्टवेअर प्रौद्योगिकी पार्क अथवा इलेक्ट्रॉ-निक हार्डवेअर प्रौद्योगिकी पार्क में स्थित किसी इकाई को भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के साथ विदेशी मुद्रा में अभिहित खाता खोलने और उसे परिचालित करने तथा ऐसे खाते में इकाई द्वारा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत के बाहर से प्राप्त किसी प्रेषण के 50 प्रतिशत तक की राशि जमा करने के लिए; और

(ii) किसी अन्य व्यक्ति को भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के साथ विदेशी मुद्रा में अभिहित खाता खोलने एवं उसे परि-चालित करने तथा ऐसे खाते में उस व्यक्ति द्वारा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत के बाहर से प्राप्त किसी प्रेषण की 25 प्रतिशत की राशि जमा करने के लिए,

बशर्ते ऐसे प्रेषण उन प्रेषणों से इतर हों जिन्हें किसी वचन पत्र के अनु-सरण में अथवा किसी विशिष्ट दायित्व के वहन के लिए प्राप्त किया गया हो, तथा बशर्ते यह भी, कि ऐसे खाते में आहरण, उन आहरणों को छोड़कर जो कि विदेशी मुद्रा में भारत के बाहर प्रेषण के लिए अथवा भारत में भुगतान के लिए उन प्रयोजनों के लिए हों जिन्हें किसी एडी परिपत्र द्वारा सूचित किया गया हो, की अनुमति किसी प्राधिकृत व्यापारी द्वारा ऐसे आहरण की तारीख को विद्यमान बाजार दर पर केवल भारतीय रुपये में ही दी जाये।

[अधिसूचना सं. फेरा 159/94-आरबी]

ओ.पी. सोढानी, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Exchange Control Department)

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 1st March, 1994

G.S.R. 156.—In pursuance of sub-section (1) of Section 8 read with sub-section (3) of Section 73 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973), and in super-session of its Notification No. FERA. 112/92-RB dated 12th March, 1992, the Reserve Bank is pleased to permit,—

(i) 100 per cent export-oriented unit or a unit located in Export Processing Zone or in Software Techno-

logy Park or in Electronic Hardware Technology Park to open and operate an account in India expressed in foreign currency with an authorised dealer and to credit to such account up to 50% of any remittance received from outside India in convertible foreign currency by the unit ; and

(ii) any other person to open and operate in India an account expressed in foreign currency with an authorised dealer and to credit to such account up to 25% of any remittance received by the person from outside India in convertible foreign currency.

Provided that such remittances were other than those received pursuant to an undertaking or for meeting any specific obligation, and

Provided further that withdrawal from such account, other than for remittance outside India or for payment in India in foreign currency, for such purposes as may be advised through an AD Circular, is allowed by an authorised dealer only in Indian rupees at market rate prevailnig on the day of such withdrawal.

[Notification No. FERA 159/94-RB]

O. P. SODHANI, Executive Director

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1994

सा. का. नि. 157.—अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में वरिष्ठ सूचना एवं प्रचार अधिकारी तथा सूचना एवं प्रचार अधिकारी के पदों की नामावली को क्रमशः अपर निदेशक (सूचना एवं प्रचार) तथा उपनिदेशक (सूचना एवं प्रचार) के रूप में तत्काल प्रभाव से परिवर्तित किया जाता है।

[फा. सं. 2/23/88-प्रशा.-I]

अशोक कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

New Delhi, the 25th January, 1994

G.S.R. 157.—The nomenclature of the post Sionor Information and Publicity Officer and Information and Publicity Officer of the Ministry of Non-Conventional Energy Sources are changed to Additional Director (Information and Publicity) and Deputy Director (Information and Publicity) respectively with immediate effect.

[F. No. 2/23/88-Admn. I]

ASHOK KUMAR, Under Secy.

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पोत परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1994

सा.का.नि. 158.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत विभाग (समूह "ग" और समूह "घ" अतकनीकी पद) भर्ती नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत विभाग (समूह "ग" और समूह "घ" अतकनीकी पद) भर्ती संशोधन नियम 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत विभाग (समूह "ग" और समूह "घ" अतकनीकी पद) भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची में—

(1) अधीक्षक के पद से संबंधित क्रम सं. 1 के सामने,

(क) स्तम्भ 12 में, "प्रोन्नति" उप-शीर्षक के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्—

"प्रोन्नति"

(i) ऐसा भंडारी, (1400—2300 रु.), जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ii) ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक (1200—2040 रु.) जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी श्रेणी/पद पर विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जाएगी।"

(2) प्रधान लिपिक के पद से संबंधित क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, भंडारी के पद से संबंधित निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्—

(3) आशुलिपिक श्रेणी 2 के पद से संबंधित क्रम सं. 5 के सामने—

(क) स्तम्भ 2 में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

"7"

(ख) स्तम्भ 4 में की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्—

"1400-40-1600-50-2300-ब.रो.-60-2600 रु.",

(4) आशुलिपिक श्रेणी 3 के पद से संबंधित क्रम सं 8 के सामने --

स्तम्भ 2 में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् --

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	क्या के० सि० से० (पेन्शन) नियमावली 1972 के नियम सं० 30 के अंतर्गत जोड़े गए वर्षों का लाभ ग्राह्य है ।
1	2	3	4	5	6	7
4 भंडारी	1* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	1400-40-1800-दरो-50-2300 रु	अचयन	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं ।	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं प्रोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी ।	परिवीक्षा का अवधि, यदि कोई हो ।
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं

भर्ती की विधि सीधी भर्ती द्वारा प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है।
11	12
प्रोन्नति द्वारा	ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक (1200--2040 रु) में से प्रोन्नति जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति, है तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है ।
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे -- (i) महानिदेशक प्रकाशन स्तम्भ और प्रकाशन प्रभाग--अध्यक्ष (ii) प्रशासनिक अधिकारी -सदस्य (iii) किसी अन्य विभाग से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी जो अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो--सदस्य	लागू नहीं होगा।

"4"

[सं 3/1/91-प्रशा (एस एफ एस)]

मंशी राम, अवर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(SHIPPING WING)

New Delhi, the 16th March, 1994

G.S.R. 158.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Lighthouse and Lightships (Group 'C' and Group 'D' Non-Technical Posts) Recruitment Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Lighthouses and Lightships (Group 'C' and Group 'D' Non-Technical Posts) Recruitment Rules—Amendment 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Lighthouses and Lightships (Group 'C' and Group 'D' Non-Technical Posts) Recruitment Rules, 1988 :—

(1) against serial number 1 relating to the post of Superintendent,

(a) in column 12, for the entries under the sub-heading "promotion" the following entries shall be substituted, namely :—

"Promotion" from :

(i) Storekeeper (Rs. 1400—2300) with 8 years' regular service in the grade ; and

(ii) Upper Division Clerk (Rs. 1200—2040) with 10 years' regular service in the grade.

Note 1.—The eligibility list for promotion shall be with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post".

(2) for serial number 4 relating to the post of Head Clerk and the entries thereto, the following serial number and entries relating to the post of Store-keeper shall be substituted, namely :—

(3) against serial number 5 relating to the post of Stenographer Grade II :—

(a) in column 2 for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"7"

(b) in column 4 for the entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600".

(4) against serial number 8 relating to the post of Stenographer Grade III.

in column 2 for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"4"

Department of Lighthouses & Lightships
Ministry of Surface Transport

RECRUITMENT RULES FOR..... File No.....4...

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. Storekeeper	1*	General Central Service Group 'C' Non Gazetted (Ministerial).	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300	Non-selection	Not applicable	No	Not applicable

*Subject to variation dependent on workload.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of Probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rect. by promotion/deputation transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	Nil	By promotion	Promotion from Upper Division Clerk (Rs. 1200-2040) with 5 years' regular service in the grade	(i) Director General of Lighthouses and and Lightships—Chairman (ii) Administrative Officer—Member (iii) Any Officer from any other Department Scheduled Castes/ Scheduled Tribes not below the rank of Secretary—Member	Not applicable

[No. 31/1/91-Admn. (SFS)]

MUNSHI RAM, Under Secy.

(नौवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1994

सा.का.नि. 159.—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 420 की उपधारा (1) और धारा 435 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चलत जलयान (फ्रीबोर्ड समनुदेशन) नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चलत जलयान (फ्रीबोर्ड समनुदेशन) नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चलत जलयान (फ्रीबोर्ड समनुदेशन) नियम, 1960 में,—

(1) नियम 7 में, "में सारणी" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(2) अनुसूची 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची—I

(नियम 4 देखिए)

(i) फ्रीबोर्ड समनुदेशन के प्रथम सर्वेक्षण के लिए	600/- रुपये
(ii) वार्षिक तथा नवीकरण सर्वेक्षण के लिए	250/- रुपये
(iii) फ्रीबोर्ड प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	20/- रुपये

3. अनुसूची II के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

(नियम 7 देखिए)

(क) खुले टाइप के जलयान के लिए,	एफ=एल + 15डी + 17
(ख) डेक युक्त कोटिया, बिग तथा डुंगी के लिए,	एफ=एल + 7 डी + 8
(ग) कोटिया, बिग तथा डुंगी से भिन्न डेक युक्त जलयानों के लिए,	एफ=एल + 8डी + 7

यहां—

एफ शीर्ष से पार्श्व में स्थायी ऊपरी पट्टी तक सेंटीमीटर में फ्रीबोर्ड (खुले चलत जलयानों के लिए) या पोतों के बीच पार्श्व में डेक के शीर्ष से चक्रिका (डिस्क) के मध्य तक।

एल=फ्रीबोर्ड के लिए मीटरों में लम्बाई = 0.2 एल के + 0.9 एल डी एल के=जिन बिन्दुओं के बीच मध्यान और टुम्बाल की लाइन (यदि आवश्यक हो, तो नीचे की ओर बढ़ायी गई) नौतल की लाइन से मिलती है, वहां सीधे नौतल की मीटर में लम्बाई। एल डी= डेक युक्त जलयान के मामले में मध्यान के अगले भाग से टुम्बाल के पिछले भाग तक जलयान की मीटरों में लम्बाई, जिसे मध्य लाइन पर डेक के स्तर पर बाद में मापा जाए तथा खुले जलयानों के मामले में, जहां से स्थायी ऊपरी पट्टी की लाइन मध्यान के अगले भाग तथा स्थायी ऊपरी पट्टी तल पर टुम्बाल के पिछले भाग पर मिलती है, माप सीधी लाइन में लिया जाता है।

डी = डेक युक्त जलयानों की पार्श्व में नौतल के शीर्ष से फ्रीबोर्ड डेक के शीर्ष तक पोतों के बीच खुले जलयानों में स्थायी ऊपरी पट्टी के शीर्ष तक जलयान की मीटरों में गहराई।

टिप्पणी :—

(i) जहां "डी" गहराई एल/6 से अधिक है, वहां वास्तविक गहराई तथा एल/6 के अन्तर को सुसंगत फार्मूले द्वारा अभिप्राप्त फ्रीबोर्ड के साथ जोड़ा जाएगा।

(ii) ऊपर निर्दिष्ट फ्रीबोर्ड खारे पानी में फ्रीबोर्ड होगा तथा यूनिट घनत्व के ताजे पानी में फ्रीबोर्ड खारे पानी के फ्रीबोर्ड से 5 सेंटीमीटर कम होगा।

(iii) अन्तिम फ्रीबोर्ड को फ्रीबोर्ड की वह मात्रा जोड़ने के बाद समनुदेशित किया जाएगा जैसी समनुदेशिक प्राधिकारी उसके वर्गीकरण, सन्निर्माण, अवस्था तथा जलयान की अन्य स्थितियों को देखते हुए निर्धारण करे।

(iv) डेक पर लगे जलयानों में फलका-मुहाल कम से कम 45 सेंटीमीटर ऊंचा तथा मजबूत होगा। फलका-मुखों के द्वारों के कवर को मौसम से बचाव वाले तख्ता डाल के पूरी तरह प्रभावी रखा जाएगा।

(v) वर्तमान चलत जलयान, जिनके विशेष रूप से ऐसे लट्ठों की ढुलाई के लिए बनाया गया था, जिनके पार्श्व में ऐसे द्वार हैं जिन्हें अस्थायी संरचनाओं द्वारा बंद कर दिया गया है तथा जिनकी गहराई एल/10 से कम है, ऐसे जलयानों को फार्मूला (क) द्वारा अभिप्राप्त फ्रीबोर्ड के 1/3 पर फ्रीबोर्ड समनुदेशित किया जाए। परन्तु यह तब जब कि कम से कम (25 डी + 30) सें. मी. ऊंचाई की अस्थायी संरचना सर्वेक्षण प्राधिकारी के समाधान रूप में दक्षतापूर्वक सन्निर्मित की जाए।

(vi) जहां जलयान की गहराई "डी" एल/10 से अधिक है या पार्श्व की अस्थायी संरचना की ऊंचाई (25डी+) सें.मी. से कम है या वह दक्ष नहीं है तो फ्रीबोर्ड को बढ़ाया जा सकता है।

(4.) अनुसूची III में, —

"मैंने जलयान का यह देखने के प्रयोजन से सर्वेक्षण कर लिया है कि क्या इस प्रमाणपत्र को प्रभावी रखा जाए तथा सर्वेक्षण मेरे समाधान-प्रद रूप में पूरा कर लिया गया है"

शब्दों के स्थान पर जहां-जहां ये शब्द आए

"मैंने इस जलयान का सर्वेक्षण प्रमाणपत्र का नवीकरण किए जाने के प्रयोजन के लिए कर लिया है। इस प्रमाणपत्र को ..... तक नवीकृत्य किया गया है," शब्द रखे जाएंगे।

[सं. एम.आर.-11012(4)/92-एम.ए.]
ओ.पी. महे, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम परिवहन तथा संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग), नई दिल्ली की सरकार की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1553 तारीख 16-12-1960 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i) में प्रकाशित किए गए थे तथा तारीख 14-3-1962 और 6-1-1967 के सा.का.नि. सं. 360 द्वारा संशोधित किए गए थे।

(SHIPPING WING)

New Delhi, 16th March, 1994

G.S.R.159 —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 420 and section 435 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend

the Sailing Vessels (Assignment of Free Board) Rules 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the Sailing Vessels (Assignment of Free Board) Amendment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sailing Vessels (Assignment of Free Board) Rules, 1960,—

(1) in rule 7, the words "the Table in" shall be omitted.

(2) for schedule I, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"Schedule I

(see rule 4)

(i) for first survey for assignment of free board	Rs. 600
(ii) for annual and renewal survey	Rs. 250
(iii) for issue of duplicate copy of free board certificate	Rs. 20

(3) for Schedule II the following Schedule shall be substituted, namely :—

"Schedule II

(see rule 7)

A For open type vessels,
F = L + 15D + 17

B For decked Kotias, Brigs and Dungies
F = L + 7D + 8

C For decked vessels other than Kotias, Brigs and Dungies,
F = L + 8D + 7

Where—

F = Free board in centimetres from top to permanent gunwale at side (for open sailing vessels) or top of deck at side amidships to the centre of the disc.

L = Length for free board in metres
= 0.2LK + 0.8LD

LK = Length of straight keel in metres between points where the line of stem and stren (extended downwards if necessary) meet the line of keel.

LD = Length of the vessel in metres from forepart of the stem to the after part of the stern post measured at the level of deck on centreline in the case of a decked vessel and in the case of open vessels from where the line of permanent gunwale cuts the forepart of the stem and to the aftpart of the stern post at the permanent gunwale level, the measurement being taken in a straight line.

D = Depth of the vessel amidships in metres from top of keel to the top of freeboard deck at side in decked vessels or top of permanent gunwale in open vessels.

Note :

(i) Where depth "D" exceeds L/6, the difference in actual depth and L/6 will be added to the freeboard obtained by the relevant formulae.

(ii) The freeboard referred to above shall be freeboard in saltwater, the freeboard in fresh water of unit density shall be less than the free board in salt water by 5 centimetres.

(iii) Final freeboard shall be assigned with the addition of such amount of freeboard as the Assigning Authority may determine having regard to the classification, construction, age and other conditions of the vessel.

(iv) The hatch coaming in decked vessels shall be at least 45 centimetres high and of substantial construction. Covers for hatch ways openings shall be efficient with means of battening down weathertight.

(v) Existing sailing vessels which were specially built for carriage of logs having opening in the sides of the vessel closed by temporary structures and having a depth less than L/10 may be assigned free board at 1/3 of the free board obtained by formula (A). Provided that the temporary structure having a height of not less than (25D + 30) Cms is constructed efficiently to the satisfaction of the surveying authority.

(vi) Where the depth "D" of the vessel is more than L/10 or the height of the temporary structure at side is less than (25D + 30) Cms or is not efficient the freeboard may be increased.

(4) In Schedule III, for the words "I have surveyed this vessel for the purpose of seeing whether this certificate should remain inforce and survey has been completed to my satisfaction" the words "I have surveyed this vessel for the purpose of renewal of this certificate. This certificate is renewed upto..... .....", wherever they occur shall be substituted.

[F. No. SR-11012/4/92-MA]

O.P. MAHEY, Under Secy.

Note :—The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i) vide Government Notification, Ministry of Transport and Communication (Department of Transport), New Delhi G.S.R. No. 1553 dated 16-12-1960 and amended vide G.S.R. No. 360 dated 14-3-1962 and 6-1-1967.

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पोत परिवहन खण्ड)

नई दिल्ली, 17 मार्च 1994

सा०का०नि० 160.—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 458 के साथ पठित धारा 74 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य पोत परिवहन (भारतीय पोतों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (भारतीय पोतों का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वाणिज्य पोत परिवहन (भारतीय पोतों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 1960 में--

(1) नियम-1 के उप नियम (3) में "किन्तु किसी ऐसे पोत को, जो 15 टन शुद्ध से अधिक नहीं है और जो भारत के तटों पर एकमात्र नौवहन में लगा हुआ है, लागू नहीं होता," शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(2) नियम 3 में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--
"(घ) किसी पोत के रजिस्ट्रीकरण के लिए पोत परिवहन महानिदेशक की अनुज्ञा";

(3) नियम 4 में "जस्टिस आफ दि पीस" शब्दों के स्थान पर "विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जाएंगे;

(4) नियम 5 में, "1960" अंकों के स्थान पर "1987" अंक रखे जाएंगे;

(5) नियम 10 में;

(क) खण्ड (क) में;

(1) दो स्थानों पर आने वाले "चार इंच" या और "या आधी इंच" शब्दों को लोप किया जाएगा;

(-) "पोत का नाम और रजिस्ट्री का पत्तन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में अंकित किए जाएंगे और हिन्दी अक्षरों की उच्चतर स्थिति होगी" शब्दों को अन्त में जोड़ा जाएगा;

(ख) खण्ड (ख) में, "बाहर में" शब्दों के स्थान पर "30 सें०मी० लम्बे और 60 से०मी० चौड़े पीतल के प्लेट पर उसे नौवहन पुल पर सहजदृश्य स्थान पर लगाया जाएगा;

(ग) खण्ड ((ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :--

(घ) "उसके डुबाव चिन्हों का परिमाप क्रमशः पत्तन और दक्षिण दिशा पर मोटर और डेलीमोटर दोनों में अग्र और पश्च रूप में अंकित किया जाएगा।"

(ङ) खण्ड (ग) के पश्चात्-पैरा में;

(i) "कुछ फीट" शब्दों के स्थान पर "दो मीटर से अधिक नहीं" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) "दो स्तम्भों में प्रत्येक के समानान्तर लम्ब" का लोप किया जाएगा;

6. अनुसूची-1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :--

अनुसूची-1

(नियम 38 देखें)

प्रारूप का वर्णन	रजिस्ट्री प्रारूप सं०
1. भारतीय रजिस्ट्री का प्रमाणपत्र	1
2. भारतीय कौंसलीय अधिकारी द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्री का अंतरिम प्रमाणपत्र	2
3. व्यष्टियों द्वारा स्वामित्व की घोषणा	3
4. संयुक्त स्वामियों द्वारा स्वामित्व की घोषणा	4
5. किसी कंपनी की ओर से स्वामित्व की घोषणा	5
6. रजिस्ट्रीकृत स्वामी या बंधकदार की मृत्यु द्वारा स्वामित्व या हित परिषण की घोषणा	6
7. रजिस्ट्रीकृत स्वामी या बंधकदार की दिवाला द्वारा स्वामित्व या हित परिषण की घोषणा	7
8. विक्रय लिखत (व्यष्टिक या सयुक्त स्वामी)	8
9. विक्रय लिखत (कंपनी)	9
10. प्रतिभूत मूल राशि और ब्याज का बंधक (व्यष्टिक या सयुक्त स्वामी)	10
11. प्रतिभूत मूल राशि और ब्याज का बंधक (कंपनी)	11
12. प्रतिभूत चालू लेखा का बंधक आदि (व्यष्टिक या सयुक्त स्वामी)	12

प्रारूप का वर्णन	रजिस्ट्री प्रारूप सं०
13. प्रतिभूता चालू लेखा आदि का बंधक (कंपनी)	13
14. भारतीय रजिस्ट्री का अनंतिम प्रमाण पत्र	14
15. नाम अनुमोदन, संकेताक्षरों और शासकीय संख्या के आबंटन के लिए आवेदन	15
16. सर्वेक्षण प्रमाण पत्र	16
17. रजिस्टर की अनुलिपि	17
18. रजिस्ट्री के पश्चात् संव्यवहार	18
19. संचार मंत्रालय, भारत सरकार को संकेताक्षरों के आबंटन की रिपोर्ट	19
20. नक्शी और चिन्हांकन टिप्पण	20
21. पोतों की वार्षिक विवरणी	21
22. रजिस्टर प्रारूप पुस्तिका	22(क)
23. रजिस्टर प्रारूप पुस्तिका	23(ख)

अनुसूची-2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्

"अनुसूची-2 नियम 39 देखें"

1. आरम्भिक रजिस्ट्री पुनः रजिस्ट्री नई या पोत अन्तरण की रजिस्ट्री प्रक्रिया फीस रजिस्ट्री फीस	500 रुपए
(क) पोत 3000 सकल टन तक न्यूनतम 1500 रुपए के अधीन रहते हुए	1.00 प्रति सकल टन
(ख) पोत 1660 सकल टन से 2000 सकल टन तक अधिकतम 15000 रुपए के अधीन रहते हुए	1.00 प्रति सकल टन
(ग) पोत 20000 सकल टन और उससे ऊपर	15000 सकल टन 1.00 प्रति सकल टन 2000 सकल टन से अधिक
2. रजिस्ट्री प्रमाण पत्र की द्विप्रतिक ..... की आपूर्ति के लिए रजिस्ट्री का अनंतिम प्रमाणपत्र	500.00
3. बंधक की रजिस्ट्री के लिए बंधक मूल्य के प्रति 1000/- 10 पैसे न्यूनतम प्रभार 500 रुपए	
4. बंधक का निर्मोचय	500.00
5. स्वामित्व का अंतरण	1000.00
6. बंधक शेयर का अन्तरण	500.00
7. रजिस्ट्री का हटाया जाना	500.00
8. परिवर्तन की रजिस्ट्री	500.00
9. किसी पोत के नाम परिवर्तन के लिए :— (उपरोक्त फीस में चिन्हांकन का निरीक्षण लदान पर नाम का परिवर्तन प्रमाणपत्र और स्वेज पनामा नहर प्रमाणपत्र और ऐसे पोत की दशा मे जो सवारी प्रमाणपत्र धारण किए हुए हैं नवीन घोषणा जारी करने और नए नाम दर्शाते हुए सवारी प्रमाणपत्र तथा स्वामित्व और पोत रजिस्ट्री में परिवर्तन शामिल है। इस फीस मे सुरक्षा प्रमाणपत्र सुरक्षा उपस्करों का प्रतिस्थापन प्रमाणपत्र सुरक्षा रेडियो, तार प्रमाणपत्र या नए नाम से प्रमाणपत्र द्वारा छूट भी सम्मिलित है)	
10. प्रत्येक निरीक्षण के लिए रजिस्टर बही निरीक्षण	100.00
11. पोत चिन्हांकन के निरीक्षण के लिए	300.00 प्रति यात्रा परिदर्शन

12. दस्तावेजो या उससे उद्धरण या भाषणों की प्रतियों के लिए	
(i) उस समय पोत के स्वामित्व को दर्शाते हुए प्रमाणित विवरणी के साथ किसी पोत की रजिस्ट्री पर रजिस्टर बही में रजिस्ट्रार द्वारा की गयी विशिष्टियों की प्रमाणित प्रति के लिए	500.00
(ii) किसी भी ऐसे घोषणा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति के लिए जिसकी प्रति को वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 द्वारा साक्ष्य बनाया गया है।	500.00
(iii) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 द्वारा घोषित ऐसे दस्तावेज, स्वामित्व विक्रय लिखित घोषणा, बंधक लिखत रजिस्ट्री प्रमाण पत्र (मूल रूप से जारी) जो साक्ष्य में अनुज्ञेय है की प्रमाणित प्रति के लिए रजिस्ट्री का अनंतिम प्रमाण पत्र	250.00
13. मास्टर का परिवर्तन	
14. अस्थायी पास जारी करने या भारतीय रजिस्ट्री का अनंतिम प्रमाण पत्र और अस्थायी पास की अवधि बढ़ाने के लिए	1000.00
15. संकेताक्षरों के आबंटन के लिए	500.00

भारतीय रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र

पोत की विशिष्टियां

(वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958, धारा 34)

संप्रतीक
सरकार द्वारा
जारी किया गया

शासकीय संख्यांक	पोत का नाम	रजिस्ट्री सं० तारीख और पत्तन	पूर्व रजिस्ट्री (यदि कोई हो) सं०, तारीख और पत्तन

भारतीय या विदेशी निर्मित	वाष्प या मोटर पोत है और किस प्रकार नोदित है।	कहां निर्माण किया गया	कब निर्माण किया गया	निर्माणकर्त्ता का नाम और पता

डैकों की सं०	लम्बाई	मीटर
मस्तूल	चौड़ाई	
डुम्बाल	पोत मध्य सांचयित	
सामग्री	गहराई	
पोतभीतों की सं०		

नोदन इंजन की विशिष्टियां आदि, जैसी कि निर्माणकर्त्ताओं, स्वामियों या इंजन बनाने वालों द्वारा दी गयी हैं।

इंजन सैटों की सं०	इंजन का विवरण	भारतीय या विदेशी निर्मित	कब बनाया गया	बनाने वाले का नाम और पता	प्रत्यागामी इंजन		धूर्वी इंजन	
					सिलेंडरों की सं०	सिलेंडरों का व्यास	प्रत्येक सैट में सिलेंडरों की सं०	शक्ति पोत की प्राक्कलित गति

शाफ्टों की सं०

बायलरों की विशिष्टियां
विवरण
सख्यांक
भारित दाब

स्ट्रोक की लम्बाई

टन भार विशिष्टियां

जैसी कि सर्वेक्षण प्रमाणपत्र में हैं।

मैं अधोहस्ताक्षरी मुम्बई पत्तन पर भारतीय पोतों का रजिस्ट्रार यह प्रमाणित करता हूं कि उस पोत का जिसका विवरण मेरे इस प्रमाण पत्र के प्रारम्भ में दिया हुआ है, सम्यक रूप से सर्वेक्षण किया गया है और उपर्युक्त विवरण रजिस्ट्रीकरण बही के अनुसार है; जिसके सक्षमता या सेवा प्रमाण पत्र की संख्या ..... है, उक्त पोत का मास्टर है और स्वामी का नाम ..... निवास स्थान विवरण ..... और ..... द्वारा धारित दसवें अंश की स० निम्नलिखित रूप में हैं:—

स्वामी का नाम, निवासस्थान और उपजीविका	दसवें अंश की संख्या

मुम्बई तारीख दिन मास एक हजार नौ सौ .....

..... भारतीय पोतों का रजिस्ट्रार, मुम्बई

सूचना :—रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र कोई हक दस्तावेज नहीं है। उसमें स्वामित्व संबंधी सभी परिवर्तनों की सूचना होना आवश्यक नहीं है। और किसी भी दशा में उसमें बंधक संबंधी कोई ऐसा शासकीय अभिलेख नहीं होगा जिससे पोत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। स्वामित्व में कोई परिवर्तन होने की दशा में, सभी पक्षकारों के हितों के संरक्षण के लिए यह महत्वपूर्ण है कि, परिवर्तन विधि के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया जाए। यदि पोत वस्तुतः या आन्वयिकतः खो जाता है, शत्रु द्वारा ले जाया जाता है, जल जाता है या टूट जाता है या किसी कारण से भारतीय पोत नहीं रहता तो उसकी सूचना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के साथ यदि विद्यमान हैं ऐसी शास्ति के अधीन तुरन्त रजिस्ट्री पत्तन पर भारतीय पोतों के रजिस्ट्रार को दी जानी चाहिए जो व्यक्तिक्रम करने पर 1000/- रुपए तक हो सकती है।

रजिस्ट्री प्रारूप सं० 1

भारतीय रजिस्ट्री का अनन्तिम प्रमाणपत्र

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 36(3)

के उपबन्धों के अधीन जारी किया गया

संप्रतीक

भारत सरकार द्वारा जारी किया गया

शास्त्रीय संख्यांक	पोत का नाम	रजिस्ट्री संख्यांक तारीख और पत्तन	भाप या मोटर पोत है और किस प्रकार नोदित है।

डेकों की सं०
मस्तूल
डुम्बाल

सामग्री
विवरण
पोत भीतों की सं०

	माप	टनभार
लम्बाई		सकल टनभार
चौड़ाई		शुद्ध टनभार
पोतमध्य सांचयित गहराई		

निर्माणकर्त्ताओं, स्वामियों या इंजन बनाने वालों द्वारा दी गयी विशिष्टियों का प्रमाणित उद्धरण नोदन इंजन की शिष्टियां आदि। जैसी कि निर्माणकर्त्ताओं, स्वामियों या इंजन बनाने वालों द्वारा दी गयी हैं।

इंजन सैटों की सं०	इंजन का विवरण	भारतीय या विदेशी	कब बनाया गया	बनाने वाले का नाम और पता	प्रत्यागामी इंजन		घूर्णी इंजन	
					प्रत्येक सैट में सिलेंडरों की सं० और व्यास	स्ट्रोक की लम्बाई	प्रत्येक सैट में सिलेंडरों की सं०	नोदन शक्ति पोत की प्राक्कलित गति

शाफ्टों की सं०

बायलरों की विशिष्टियां
विवरण
संख्यांक
भारित दाब

19 सर्वेक्षक

रजिस्ट्री प्रारूप सं० 2

स्वामित्व की घोषणा

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 29 के अधीन व्यक्तिगत स्वामी द्वारा

शासकीय संख्यांक	पोत का नाम	समय जब वह स्थान जहां पोत का निर्माण हुआ था

पूर्व रजिस्ट्री की विशिष्टियां अर्थात् रजिस्ट्री का नाम, शासकीय सं०, तारीख और पत्तन	वर्तमान रजिस्ट्री की सं०, तारीख और पत्तन (रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाना है)	भाप या मोटर पोत	नोदन शक्ति

लम्बाई मीटर

चौड़ाई

पोतमध्य सांचयित गहराई

टनभार

सकल शुद्ध

और जैसा सर्वेक्षक के प्रमाणपत्र और रजिस्टर बही में अधिक विस्तार से वर्णित है।

मैं अधोहस्ताक्षरी ..... आत्मज ..... व्यवसाय ..... राष्ट्रीयता ..... जन्म स्थान .....

निम्नलिखित घोषणा करता हूं। मैं भारत का नागरिक हूं।

पोत का उपर्युक्त साधारण विवरण सही है।

..... जिसके क्षमता या सेवा प्रमाण पत्र ..... की संख्या है ..... उक्त पोत का मास्टर है।

मैं उक्त पोत में ..... अंश/अंशों का स्वामी हूं। मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं कि इसमें कथित विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ..... की उपस्थिति में तारीख ..... को पूरा किया गया और हस्ताक्षरित किया गया ।

नागरिक की प्रतिष्ठा की धारा करने के लिए व्यक्ति को (I) संविधान के अनुच्छेद 5 या (II) अनुच्छेद 6 या (III) नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के उपबंधों की तुष्टि करनी होगी।

टिप्पण : घोषणा भारतीय पोतों के रजिस्ट्रार, जस्टिस आफ दि पीस या शपथ आयुक्त या भारतीय कौंसलीय अधिकारी के समक्ष की जानी चाहिए ।

घोषणा लेने वाले व्यक्ति की अर्हता उसके हस्ताक्षर के साथ जोड़ी जानी चाहिए।

रजिस्ट्री प्ररूप सं० 3

स्वामित्व की घोषणा

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 29 के अधीन संयुक्त स्वामियों द्वारा

भारत सरकार द्वारा

जारी किया गया

शासकीय संख्यांक	पोत का नाम	पोत कब और कहां निर्मित हुआ था

पूर्व रजिस्ट्री के विवरण अर्थात नाम आधिकारिक संख्या तारीख और रजिस्ट्री पत्तन	वर्तमान रजिस्ट्री की सं० तारीख और पत्तन (रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाना है)	वाष्प पोत या मोटर पोत	नोदन शक्ति

लम्बाई	मीटर
चौड़ाई	
पोत मध्य सांचयित	
गहराई	

टनभार

सकल	शुद्ध

और जैसा सर्वेक्षक के प्रमाण पत्र तथा रजिस्टर पुस्तक में अधिक विस्तार से विवरण दिया गया है।

संयुक्त स्वामी

नाम	आवास स्थान	उपजीविका	जन्म स्थान

प्रथमतः जिन उपरोक्त व्यक्तियों के नाम बता दिए गए हैं, उनमें से हम प्रत्येक निम्न प्रकार घोषणा करता है:—

मैं भारत का नागरिक हूं

1.

2.

3.

4

5.

पोत का उपर्युक्त साधारण विवरण सही है। ..... जिसके क्षमता या सेवा प्रमाण पत्र की सं ..... है ..... उक्त पोत का मास्टर है।

द्वितीय :—हम उपरोक्त वर्णित सभी व्यक्ति क्रमश. निम्न प्रकार घोषणा करते हैं :—

हम उक्त पोत में ..... अंश/अंशों के संयुक्त स्वामियों के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के हकदार हैं। हम सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करते हैं कि इसमें कथित विशिष्टियां हमारे सर्वोत्तमज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं। ..... की उपस्थिति में तारीख ..... 19 ..... को पूरा किया गया और हस्ताक्षर किए गए।

*नागरिक की प्रतिष्ठा का दावा करने के लिए व्यक्ति को (i) संविधान के अनुच्छेद 5 या (ii) अनुच्छेद 6 या (iii) नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के उपबंधों की तुष्टि करनी होगी।

टिप्पण :—घोषणा भारतीय पोतों के रजिस्ट्रार, जस्टिस आफ दि पीस या शपथ आयुक्त या भारतीय कौंसलीय अधिकारी के समक्ष की जानी चाहिए।

घोषणा लेने वाले व्यक्ति की अर्हता उसके हस्ताक्षर के साथ जोड़ी जानी चाहिए। रजिस्ट्री प्ररूप सं० 4

रजिस्टी प्ररूप सं० 4

स्वामित्व की घोषणा

राष्ट्रीय संप्रतीक

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 29 के अधीन कम्पनी की ओर से

भारत सरकार द्वारा जारी किया गया।

शासकीय संख्या	पोत का नाम	पोत कब और कहां निर्मित हुआ था।

पूर्व रजिस्ट्री का विवरण अर्थात् नाम, शासकीय संख्यांक तारीख और रजिस्ट्री पत्तन	वर्तमान रजिस्ट्री की सं० तारीख और पत्तन (रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाए)	वाष्प या मोटर पोत है	नोदन शक्ति

लम्बाई	मीटर
चौड़ाई	
पोत मध्य सांचयित	
गहराई	

टनभार

सकल	शुद्ध

और जैसा सर्वेक्षक के प्रमाणपत्र और रजिस्टर बही में अधिक विस्तार से वर्णित है।

मैं अधोहस्ताक्षरी ··· आत्मज ··· निवास स्थान ·· ····· ···· ·· व्यवसाय ·· जन्म स्थान · ·· इसके सामूहिक सील (जिसका प्राधिकरण इसके साथ संलग्न है) द्वारा प्राधिकृत निम्नलिखित रूप से घोषणा करता हू —

उक्त कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन · आज · दिन · ········ मास · · · · 199 · को रजिस्ट्रीकृत हुई थी और उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ···· ·· ·· है। और यह वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 21 के खण्ड (ख) मे विनिर्दिष्ट अपेक्षाओ की तुष्टि करते है अर्थात —

(i) यह कि भारत मे कारबार का मुख्य (स्थान · ·· · · ····· है)।

(ii) वह कि कम्पनी · की कम से कम 60 प्रतिशत शेयर पूंजी (भारत के नागरिको द्वारा धारित हो)*

(iii) यह कि कम्पनी के कुल निदेशकों की संख्या के तीन चौथाई से अन्यून भारत के नागरिक हो।

(iv) यह कि कम्पनी के निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष और प्रबन्धक निदेशक यदि कोई हो/हो भारत के नागरिक हो और

(v) यह कि कम्पनी के प्रबन्ध अभिकर्ता भारत के नागरिक हो (या यदि कम्पनी प्रबन्ध अभिकर्ता हो) यह कि प्रबन्ध अभिकर्ता ऐसी कम्पनी है जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 2 के खण्ड (ग) के उपखंड

(i) उपखण्ड (ii) उपखण्ड (iii) और उपखण्ड (iv) की अपेक्षाओ की तुष्टि करता है।

(यदि कम्पनी का प्रबन्ध अभिकर्ता न हो ता इसे काट दे) पोत का उक्त सामान्य विवरण सही है।

टिप्पण —घोषणाए भारतीय पोतो के रजिस्ट्रार, जस्टिस आफ दि पीस या शपथ आयुक्त या भारतीय कासलीय अधिकारी के समक्ष की जानी चाहिए की घोषणा देने वाले व्यक्ति की अर्हता उसके हस्ताक्षर के साथ जोड़ी जानी चाहिए। नागरिक की प्रतिष्ठा का दावा करने के लिए व्यक्तियो को संविधान के अनुच्छेद 6 के उपबंध (1) के अनुच्छेद (6) के (ii) के नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के उपबंधो की तुष्टि करनी होगी।

··· जिसका समक्षमता या सेवा प्रमाणपत्र सख्या है उक्त पोत का मास्टर है। · · · · उक्त कम्पनी के पोत में · ······ शेयर है और वह स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार है। मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हू कि इसमे दी गयी विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

उपर्युक्त

· ···· की उपस्थिति में तारीख · 19 · का पूरा किया गया और हस्ताक्षरित किया गया।

रजिस्ट्री प्ररूप सख्या 5

राष्ट्रीय संप्रतीक

पारेषण द्वारा ग्रहण करने वाले किसी मृतक रजिस्ट्रीकृत स्वामी या बंधकदार के प्रतिनिधि द्वारा घोषणा।

(वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 धारा 44 और धारा 54)

आधिकारिक सख्याक	पोत का नाम	स०, तारीख और पत्तन रजिस्ट्री

वाष्प या मोटर पोत		नोदन
लम्बाई		मीटर
चौड़ाई		
पोत मध्य संचयित		
गहराई		
	टनभार	
सकल	शुद्ध	

और जैसा सर्वेक्षक के प्रमाण-पत्र और रजिस्टर बही में अधिक विस्तार से वर्णित है।

नाम	पिता का नाम	आवास स्थान	उपजीविका	जन्मस्थान

मैं/हम में से प्रत्येक, ऊपर वर्णित कुछ व्यक्ति जिसका/जिसके नाम यहां दिए गए है, निम्नलिखित रूप से घोषणा करते है —

(क) ..... मैं/हम घोषणा करता हूं/करते है कि* ..... रजिस्टर पुस्तक मे दर्ज हु व्यक्ति के उक्त वर्णित पोत मे ..... अंश/अंशों के ..... है/है जिसकी ..... में मृत्यु हुई .....।

मैं, उक्त पोत मे ..... अंशो/अंशों का स्वामी/बंधकदार के रूप मे रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार हू। मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हू कि इसमें दी गयी विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी/विश्वास के अनुसार सही है। उपर्युक्त द्वारा ..... को ..... की उपस्थिति मे तारीख को पूरा किया गया और हस्ताक्षर किए गए।**

स्वामित्व की दशा मे मैं (या हम) भारतीय नागरिक हूं/है यहां लिखा जाए/(नागरिक की प्रतिष्ठा का दावा करने के लिए व्यक्ति को (1) संविधान के अनुच्छेद 5(ii) या अनुच्छेद 6 के उपबंधों या (iii) नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के उपबंधो की तुष्टि करनी होगी।

(ख) स्वामी या बंधकदार

(ग) प्रथमतः उसकी वसीयत तारीख ..... दिन ..... को दी गयी तारीख ..... दिन (मुझे या हमे) ..... निष्पादक नियुक्त किया और (मैंने या हमने) ..... तारीख ..... दिन ..... को ..... के न्यायालय में उसकी उक्त वसीयत को साबित कर दिया और उसकी संपदा तथा चीजबस्त के प्रशासन के पत्र ..... के न्यायालय ..... तारीख ..... दिन ..... 19 ..... द्वारा (मुझे या हमें) सम्यक्रूप से प्रदान किए गए।

*यहा मृतक का नाम दिया जाए।

**घोषणा, भारतीय पोतों के रजिस्ट्रार, जस्टिस आफ दि पीस या शपथ आयुक्त या भारतीय कौंसलीय अधिकारी के समक्ष अवश्य की जानी चाहिए। घोषणा लेने वाले व्यक्ति की अर्हता उसके हस्ताक्षर के साथ जोड़ी जानी चाहिए।

टिप्पण :—इस घोषणा के साथ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अधीन उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट या प्रशासन-पत्र अथवा उसकी सम्यकरूप से प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

रजिस्ट्री प्ररूप सं० 6

राष्ट्रीय संप्रतीक

भारत सरकार द्वारा जारी किया गया

रजिस्ट्रीकृत स्वामी या बंधककार के दिवालिया हो जाने से पारेषण पर स्वामित्व या हित की घोषणा।

(वाणिज्य परिवहन पोत अधिनियम, 1958 धारा 44 और 45)

शासकीय संख्यांक	पोत का नाम	संख्या तारीख और रजिस्ट्री पत्तन

भाप पोत या मोटर पोत	नोदन शक्ति

लम्बाई	मीटर
बाह्य पट्टी की मुख्य चौड़ाई	
पोत मध्य खड़ी गहराई	

टनभार

सकल	शुद्ध

और सर्वेक्षक के प्रमाणपत्र तथा रजिस्टर पुस्तिका में यथा-वर्णित अधिक विवरण दिए गए है।

नाम	पिता का नाम	आवास स्थान	उपजीविका	जन्मस्थान

उपरोक्त वर्णित मैं/हम में से प्रत्येक अनेक व्यक्ति जिनका/जिनके नाम यहां दिया गया/दिए गए है निम्न प्रकार से घोषणा करते हैं :—

(क) वह व्यक्ति जो रजिस्टर बही में ऊपर वर्णित पोत में (ख) ..... अंश/अंशों का ..... है एक हजार नौ सौ और ..... के ..... के ..... दिन को (ग) ..... द्वारा दिवालिया अधिनिर्णित किया गया था जो उक्त ..... की संपत्ति का न्यासी नियुक्त किया गया है और (घ) ..... पोत के उक्त ..... अंश/अंशों का ..... (ङ) ..... के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार है।

मैं उक्त पोत में ..... के अंश/अंशों के स्वामी/बंधक दार के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का पात्र हूं।

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से इसमें दिए गए विवरण सही हैं।

उपर्युक्त ..... द्वारा ..... की उपस्थिति में ..... दिन ..... मास ..... 19 ..... को कृत और हस्ताक्षर किया गया।

(क) स्वामित्व के मामले में मैं (या हम) एक भारतीय नागरिक (या भारतीय नागरिक) यहां उल्लिखित है।

नागरिक की हैसियत का दावा करने के मामले मे, व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद (i) 5 या (ii) अनुच्छेद 6 के उपबंधों या (iii) नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 51) के उपबंधों को पूरा करना चाहिए।

(ख) "स्वामी" या "बंधकदार"।

(ग) यहां न्यायालय का नाम लिखिए।

(घ) "मैं" या "हम"

(ङ) "स्वामी" या "बंधकदार"

**घोषणाएं भारतीय पोतों के रजिस्ट्रार, जस्टिस आफ दि पीस, शपथ आयुक्त या किसी भारतीय कौंसलीय आफिसर के समक्ष की जानी चाहिए।

*घोषणा लेने वाले व्यक्ति की अर्हता उसके हस्ताक्षर के साथ जोड़ देना चाहिए।

रजिस्ट्री प्ररूप सं० 7

संप्रतीक

विक्रय लिखत (व्यष्टिक या संयुक्त स्वामी)

(वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 धारा 42)

शासकीय संख्यांक	पोत का नाम	संख्यांक वर्ष और रजिस्ट्री पत्तन भाप या मोटर पोत	नोदन शक्ति

	मीटर
लम्बाई	टनभार
चौड़ाई	सकल
पोत मध्य खड़ी गहराई	शुद्ध

और सर्वेक्षक के प्रमाणपत्र और रजिस्टर पुस्तिका में यथावर्णित अधिक (विवरण)

(क) मैं अधोहस्ताक्षरी (ख) क,ख,ग ने (ग) च, छ, ज द्वारा (घ) मुझे के संदत्त रुपये की राशि के प्रतिफलस्वरूप, जिसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति की जाती है विशेष रूप से ऊपर वर्णित पोत में और उसकी नौकाओं और अनुषक्तकों में अंश उक्त को अंतरित करता हूं/करते हैं।

और (क) मैं उक्त (ङ) वारिसों की ओर से उक्त ——————और (घ)——————के साथ की गयी प्रसंविदा के लिए यह समनुदेशन करता हूं/करते हैं कि (क) उस परिसर को, जिसे इसमें इसके पहले अंतरित अभिव्यक्त किया गया है, उपरोक्त रीति में अंतरण करने की शक्ति है और यह कि वह (छ) विल्लंगमों से मक्त है।

इसके साक्ष्यस्वरूप (क) इस पर (ख) (नाम) तारीख 199 को हस्ताक्षर किए हैं और (ग) मुद्रा लगा दी है।

(झ) ऊपर नामित द्वारा

(1) की उपस्थिति में निष्पादित किया गया।

(क) मै या हम

(ख) यहां अंतरक या अंतरकों का पूरा नाम और पता तथा ब्यौरे दें।

(ग) यहां व्यक्तियों की दशा में अंतरिती या अंतरितियों का पूरा नाम और पता तथा उनके ब्यौरे दें और संयुक्त स्वामियों के रूप में जहां ऐसी दशा हो वहां जोड़े।

(घ) "मुझे" या "हम"।

(ङ) "स्वयं या मेरे"

(च) "उसके" "उनके" या "इसके"

(छ) यदि कोई विद्यमान बंधक है तो जैसा उक्त पोत की रजिस्ट्री से प्रकट होता है, उसके सिवाय जोड़े।

(ज) "मेरी" या "हमारी"

(झ) कम से कम दो साक्षियों के नाम, पते और ब्यौरे। हस्ताक्षर और मुद्रा के लिए स्थान।

टिप्पण : किसी रजिस्ट्रीकृत भारतीय पोत का क्रेता तब तक पूर्ण हक अभिप्राप्त नहीं करता जब तक विक्रय लिखित पोत के रजिस्ट्री पत्तन पर अभिलिखित न की गई हो और इस पूर्वावधानी की उपेक्षा के गंभीर परिणाम हो सकते है।

टिप्पण : रजिस्ट्रीकृत स्वामियों या बंधकदारों को यह स्मरण कराया जाता है कि उनकी ओर से निवास-स्थान में किए गए किसी परिवर्तन के बारे में भारतीय पोतों के रजिस्ट्रार को सूचित करते रहना आवश्यक है।

रजिस्ट्री प्ररूप सं. 8

विक्रय लिखत (कंपनी)

(वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958, धारा 42)

राष्ट्रीय संप्रतीक

भारत सरकार द्वारा जारी
किया गया

शासकीय संख्यांक	पोत का नाम	संख्यांक, तारीख और रजिस्ट्री पत्तन	भाप या मोटर पोत	नोदन शक्ति

मोटर

लम्बाई

चौड़ाई

पोत मध्य खड़ी

गहराई

टन भार

सकल शुद्ध

और सर्वेक्षक के प्रमाणपत्र और रजिस्टर पुस्तिका में यथावर्णित अधिक विवरण

हम (क) .... जिनके कारबार का प्रधान स्थान .... पर है, (ख)... .... के .... द्वारा हमें संदत्त .... की रकम के प्रतिफल स्वरूप, जिसके प्राप्ति की अभिस्वीकृति की जाती है, विशेष रूप से ऊपर वर्णित पोत में और उसकी नौकाओं अनुलग्नकों में .... अंश उक्त .... को अंतरित करते है।

और हम, उक्त .... अपने और अपने उत्तराधिकारियों की ओर से उक्त .... और (ग) .... के समनुदेशितियों के साथ यह प्रसंविदा करते हैं कि उक्त परिसर को, जिसे इसमें इसके पहले अंतरित अभिव्यक्त किया गया है, उपरोक्त रीति से अंतरण करने की हमारे पास शक्ति है और यह कि वे (घ)............ विल्लगमों से मुक्त है।

इसके साक्ष्य स्वरूप हमने तारीख .... 19 को अपनी सामान्य मुद्रा लगा दी है।

.... की सामान्य मुद्रा

(क) यहां कंपनी का पूरा अभिनाम अंतःस्थापित करें।

(ख) यहां अन्तरितियों या अंतरकों का पूरा पता और विवरण अंतःस्थापित करें।

(ग) "उसके" या "उनके"।

(घ) यदि कोई विद्यमान बंधक है तो "जैसा उक्त पोत की रजिस्ट्री से प्रकट होता है उसके सिवाय" जोड़े।

(ङ) कम से कम दो साक्षियों, निदेशक, सचिव आदि (यथास्थिति) का ब्यौरा।

टिप्पण : किसी रजिस्ट्रीकृत भारतीय पोत का क्रेता तब तक पूर्ण हक अभिप्राप्त नहीं करता जब तक विक्रय निखत पोत के रजिस्ट्री पत्तन पर अभिलिखित न की गई हो और इस पूर्ववधानी की उपेक्षा के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

टिप्पण : रजिस्ट्रीकृत स्वामियों या बंधकदारों को यह स्मरण कराया जाता है कि उनकी ओर से निवास स्थान में किए गए किसी परिवर्तन के बारे में भारतीय पोतों के रजिस्ट्रार को सूचित करते रहना आवश्यक है।

रजिस्ट्री प्ररूप सं. 9

संप्रतीक

भारत सरकार द्वारा बंधक (मूल राशि और ब्याज सुरक्षित करने के लिए)

जारी किया गया (व्यष्टि या संयुक्त स्वामी)

(वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 धारा 47 धारा 48 और धारा 53)

शासकीय संख्या	पोत का नाम	सं. तारीख और रजिस्ट्री पत्तन

क्या भाप पोत है या मोटर पोत	नोदन शक्ति
	मीटर

लम्बाई

चौड़ाई

पोत मध्य खाड़ी गहराई

टन भार	
सकल	शुद्ध

और सर्वेक्षक के प्रमाणपत्र और रजिस्टर (पुस्तिका में यथा वर्णित अधिक विवरण)।

(क) .....अधोहस्ताक्षरी (ख).....पुत्र.....आज तारीख को (ग).....द्वारा (घ) .....को उधार दिए गए ..... के प्रतिफलस्वरूप (ङ) .....और (च) .....वारिसों, निष्पादकों या प्रशासकों की ओर से उक्त ..... निष्पादक या प्रशासक के साथ प्रसंविदा करता हूं/करते हैं कि उक्त .....को उक्त .....की राशि का संदाय करेंगे या (च) .....वारिस, निष्पादक या प्रशासक या ऐसे समय के दौरान जिस समय वह या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, उक्त .....को संपूर्ण राशि या उसके उक्त भाग पर जो तत्समय असंदत्त

रहता है, ...प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज संदत्त करेंगे जिसका संदाय प्रत्येक वर्ष तारीख ..... और तारीख .....को समान अर्धवार्षिक संदायों द्वारा किया जाएगा और (छ) तारीख ..... को उक्त मूल राशि और ब्याज का पूर्वोक्त रीति में संदाय अच्छी तरह से सुरक्षित रखने के लिए विशेष रूप से ऊपर वर्णित पोत में और उसकी नौकाओं और अनुलग्नकों में उक्त .....अंश जिसका/जिसके (ज).....स्वामी हूं/हैं उक्त .....को बंधक करता हूं/करते हैं। अंततः (क)..... (ङ).....और (च) .....वारिसों की ओर से उक्त.....के साथ प्रसंविदा करता हूं/करते हैं और ..... समनुदेशन करते हैं कि (क).....ऊपर उल्लिखित अंशों को पूर्वोक्त रीति में बंधक रखने के लिए सशक्त है और यह कि वे (झ).....विल्लंगमों से मुक्त हैं।

इसके साक्ष्यस्वरूप .....इस पर (ब).....(नाम)..... तारीख .....19 को हस्ताक्षर कर दिए हैं और (च).....मुद्रा लगा दी है।

ऊपर नामित .....द्वारा (ञ).....की उपस्थिति में निष्पादित किया गया

(क) "मैं" या "हम"

(ख) यहां बंधककर्त्ता या बंधककर्ताओं का/के पूरा/पूरे नाम और पता/पते तथा विवरण दें।

(ग) यहां व्यष्टियों की दशा में बंधकदार या बंधकदारों का/के पूरा/पूरे नाम और पता/पते तथा उनका विवरण दें और जहां ऐसी दशा हो वहां संयुक्त बंधकदारों के रूप में जोड़ें।

(घ) मुझे/हमें

(ङ) "मेरी अपनी" या "हमारी अपनी"

(च) "मेरे" या "हमारे"

(छ) यहां उपर्युक्त मूल राशि का संदाय करने के लिए नियत तारीख भरें।

(ज) "मैं" या "हम" (i) यदि कोई पूर्व विल्लंगम हो तो "जैसा उक्त पोत की रजिस्ट्री से प्रकट होता है, उसके "सिवाय" जोड़े

(झ) कम से कम दो साक्षियों के नाम, पते और विवरण।

हस्ताक्षर और मुद्रा के लिए स्थान।

टिप्पण : पोत के रजिस्ट्री पत्तन पर बंधक-विलेख का तत्परता से रजिस्ट्रीकरण बंधकदार की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि बंधक की पूर्विकता रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किए जाने की तारीख से मानी जाती है न कि लिखत की तारीख से।

टिप्पण : रजिस्ट्रीकृत स्वामियों या बंधकदारों को यह स्मरण कराया जाता है कि उनकी ओर से निवास स्थान में किए गए किसी परिवर्तन के बारे में भारतीय पोतों के रजिस्ट्रार को सूचित करते रहना आवश्यक है।

रजिस्ट्री प्ररूप सं. 10

विशेष ध्यान दें :—अंतरण के मामले में यह निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में पृष्ठांकन द्वारा किया जाए।

व्यष्टि या संयुक्त स्वामियों द्वारा — बंधक अंतरण

(क) .....इसके भीतर उल्लिखित .....पुत्र .....इस दिन..... द्वारा (ख) .....को संदत्त किए गए .....के प्रतिफलस्वरूप इसके भीतर लिखित प्रतिभूति का फायदा (ग) .....को अंतरित करता हूं/करते है। उसके साक्ष्य स्वरूप (क) .....तारीख ..... 19 को इस पर (घ).....हस्ताक्षर कर दिए हैं और (ङ).....मुद्रा लगा दी है।

ऊपर नामित .....द्वारा (ङ).....की उपस्थिति में निष्पादित किया गया

कंपनी या निगमित निकाय द्वारा – बंधक अंतरण

इसके भीतर उल्लिखित .....इस दिन .....द्वारा उसे संदत्त.... .....के प्रतिफलस्वरूप इसके भीतर लिखित प्रतिभूति का फायदा (ग) .....को अन्तरित करता हूं/करते है। इसके साक्ष्यस्वरूप हमने तारीख .....19 को इस पर अपनी सामान्य मुद्रा लगा दी है।

.....

.....

.....की सामान्य मुद्रा

.....

.....की उपस्थिति मे लगाई गई थी

विशेष ध्यान दें :– यदि बंधक का भुगतान कर दिया गया है तो उसके उन्मोचन का एक ज्ञापन निम्नलिखित प्ररूपों में से एक का प्रयोग किया जाना चाहिए।

व्यष्टि या संयुक्त स्वामियों द्वारा

इसमें लिखित प्रतिभूति के उन्मोचन में .....की राशि .....पर तारीख .....19 को प्राप्त की। साक्षी (क).....

कंपनी या निगमित निकाय द्वारा

इसमें लिखित प्रतिभूति के उन्मोचन में .....की राशि प्राप्त की। इसके साक्ष्यस्वरूप, हमने तारीख .....19 को .....पर अपनी सामान्य मुद्रा लगा दी है।

.....की सामान्य मुद्रा

.....की उपस्थिति में

लगा दी गई थी।

*कम से कम दो साक्षियों उदाहरणार्थ निदेशक सचिव आदि (जैसी भी स्थिति हो) के हस्ताक्षर और ब्यौरे।

(क) "मैं" या "हम"

(ख) "मुझे" या "हमें"

(ग) "उसे" या "उन्हें"

(घ) "अपनी"

(ङ) कम से कम दो साक्षियों के नाम, पते और ब्यौरे।

बंधक (मूलधन और ब्याज प्रतिभूत करने के लिए)

राष्ट्रीय संप्रतीक (कंपनी)

भारत सरकार द्वारा जारी (वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 धारा 47, 48 और 53)

शासकीय संख्या	पोत का नाम	संख्यांक, तारीख और रजिस्ट्री पत्तन
1.		
2.		
3.		

वाष्प पोत या मोटर पोत	नोदन शक्ति
	मीटर
लम्बाई चौड़ाई पोत मध्य खाड़ी गहराई	
	टन भार
सकल*	शुद्ध

और सर्वेक्षक के प्रमाणपत्र और रजिस्टर पुस्तिका में यथावर्णित अधिक विवरण

हम.....आज तारीख.....को.....द्वारा हमें दिए गए उधार के प्रतिफल में उक्त.....और.....के साथ की गई प्रसंविदा के लिए अपनी और अपने उत्तराधिकारियों की ओर से समनुदेशन करते हैं कि प्रथमतः हम या हमारे उत्तराधिकारी उक्त.....को तारीख.....को उक्त.....धनराशि.....प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ अगले.....की तारीख.....को समानुदेशित करेंगे और द्वितीयतः यह कि यदि उक्त मूलधन की राशि उक्त दिन को संदत्त नहीं की गई, तो हम या हमारे उत्तराधिकारी, उस अवधि के दौरान जिसमें वह राशि या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, उक्त.....या .....को प्रत्येक वर्ष तारीख.....और तारीख.....को संपूर्ण राशि या उसके उस भाग पर जो असंदत्त रह गया है,.....की वार्षिक दर से ब्याज का संदाय अर्द्ध वार्षिक आधार पर समानुदेशित करेंगे और उक्त मूलधन तथा ब्याज की राशि को उपरोक्त रीति में प्रति संदाय को अधिक प्रतिभूत करने के लिए हम ऊपर विशिष्ट रूप से वर्णित पोत, उसकी नौकाओं और अनुलग्नकों में शेयरों, जिनके हम स्वामी हैं, को बंधक रहते हैं । अन्ततः हम अपनी और अपने उत्तराधिकारियों की ओर से उक्त.....और.....के साथ प्रसंविदा में यह समनुदेशन करते हैं कि हम पूर्वोक्त वर्णित रीति में उपरोक्त उल्लिखित शेयरों को बंधक रखने में सशक्त हैं और वे .....
विफलागमों से मुक्त हैं

इसके साक्ष्य स्वरूप हमने इस पर तारीख....., 19.....
को अपनी सामान्य मुद्रा लगा दी है

.....की सामान्य मुद्रा इस पर.....

.....

.....

.....

की उपस्थिति में लगाई है।

टिप्पण : बंधकदार की प्रतिभूति के लिए, पोत के रजिस्ट्री पत्तन पर बंधक विलेख का तत्काल रजिस्ट्रीकरण कराना आवश्यक है क्योंकि बंधक की प्राथमिकता इसके प्रस्तुतीकरण की तारीख से होती है न कि लिखत की तारीख से।

रजिस्ट्री प्ररूप सं. 11

टिप्पण : रजिस्ट्रीकृत स्वामियों या बंधकदारों को, उनके आवास में किसी परिवर्तन के संबंध में पोतों के रजिस्ट्रार को सूचित करते रहने के महत्व को स्मरण कराया जाता है।

*जब दोहरे टन भार समानुदेशित हों तो टन भार का उच्चतर सेट लागू होगा।

कंपनी के कारोबार के प्रधान स्थान के साथ उसका पूरा नाम बंधकदार का पूरा नाम, पता और विवरण। यदि बंधकदार समुत्थान है तो उनका वर्णन करें। यदि बंधकदार कंपनी है तो उसका पूरा नाम और पता दें। उसके "उनके" या "इसके" यदि कोई पूर्व विल्लगम है तो "उक्त पात्र की रजिस्ट्री में प्रकट के सिवाए" जोड़ें। साक्षियों, निदेशकों, सचिव और आदि (जैसी भी स्थिति हो) का विवरण।

विशेष ध्यान दें :—अन्तरण के मामले में, निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक पर पृष्ठांकन करें।

व्यष्टियों या संयुक्त स्वामियों द्वारा बंधक का अन्तरण।

इसमें उल्लिखित,..............पुत्र..................आज तारीख...................... ....को ....द्वारा..............संदत्त.................के प्रतिफल के लिखित प्रतिभूति के अंतर्गत फायदों को...................... को अन्तरित करते है। इसके साक्ष्य स्वरूप............इस पर हस्ताक्षर कर..........................."मैं" या "हम"......................,और आज तारीख ...., एक हजार नौ सौ ....उपरोक्त............ द्वारा निष्पादित कर (1)........................(2)........,की उपस्थिति में अपनी मुद्रा लगाते है।

"मुझे" या "हमें"

"मेरा" या "हमारा"

कंपनी या निगमित निकायम द्वारा बंधक का अन्तरण

"उसके" "उनके" या "इसके"

बंधक (चालू लेखा आदि को प्रतिभूत करना)

व्यष्टि या संयुक्त स्वामी

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958, धारा 47, 48 और 58

शासकीय संख्यांक	पोत का नाम	संख्यांक, तारीख और रजिस्ट्री का पत्तन
वाष्प या मोटर पोत		नोदन शक्ति
		मोटर

लम्बाई. ....

चौड़ाई...............

पोत के मध्य खड़ी गहराई.................

टन भार

सकल	..	..	शुद्ध	..	..

और सर्वेक्षक के प्रमाणपत्र और रजिस्टर पुस्तिका में यथा वर्णित अधिक विवरण

प्रब (ख)............अधोहस्ताक्षरी........ .(ग)... ....और (घ).......उत्तराधिकारियों के लिए आमुख के प्रतिफल में..............उक्त और (ङ).... ....समनुदेशितियों के साथ और इस प्रतिभूति पर तत्समय शोध्य धनराशि चाहे मूलधन या ब्याज के रूप में हो, पूर्वोक्त समय और रीति में उसे संदाय करने के लिए प्रसंविदा करता हूं/करते हैं और उक्त............को अंतिम पूर्वोक्त ऐसी राशि के संदाय को अधिक सुरक्षित करने के लिए (ख) ....विनिर्दिष्टतया ऊपर वर्णित पोत, उसकी नौकाओं तथा अनुलग्नकों में उक्त...........शेयरों को जिनका (ख) ....स्वामी हूं/है, बंधक रखता हूं/रखते हैं। अंत में (ग)........और (घ)....... उत्तराधिकारियों के लिए (ख)..................उक्त .. ..और (ङ).... .. ..के समनुदेशितियों के साथ प्रसंविदा करता हूं/करते हैं और यह समनुदेशित करता हूं/करते हैं कि (ख)..............पूर्वोक्त वर्णित रीति में उक्त उल्लिखित शेयरों को बंधक रखने में सशक्त है। और वे (छ).... ....विल्लंगमों से मुक्त हैं। आज तारीख...............को (ख)................ (घ) .... .हस्ताक्षर कर दिया है/कर दिए हैं और (घ).............मुद्रा लगा दी है।

निम्नलिखित की उपस्थिति में.

उपरोक्त नामित......................द्वारा निष्पादित

(क) यहां बंधककर्ता: (उसका पता और विवरण दें यदि संयुक्त स्वामियों से संबंधित है तो उनका इस रूप में वर्णन करें) और बंधकदार (उसका पता और विवरण दें), के बीच चालू खाता होने का परिवर्णन के रूप में कथन करें। यदि बंधकदार कोई कंपनी या निगमित निकाय है तो ... ... अवश्य किए जाने चाहिए और यदि बंधकदारों से संबंधित है तो उनका इस रूप में वर्णन अवश्य किया जाना चाहिए। संव्यवहार की प्रकृति का वर्णन यह दर्शाने के लिए करें कि किसी दिए गए शोध्य समय में और मूलधन और ब्याज के संदाय की रीति और समय किस प्रकार अभिनिश्चित किया जाएगा।

(ख) "मैं" या "हम" (ग) "मेरे लिए" या "हमारे लिए" (घ) "मेरा" या "हमारा" (ङ) "उसका" या "उनका"

(च) "मे" या "हम" (छ) यदि कोई पूर्व विल्लंगम हो तो "उक्त पोत की रजिस्ट्री में प्रकट के सिवाय" जोड़ दें।

* कम से कम दो साक्षियों के नाम, पते और विवरण दें।

टिप्पण: बंधकदार की सुरक्षा के लिए पोत के रजिस्ट्री पत्तन पर बंधक की तत्परता से रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है। जैसा कि बंधकदार की पूर्विकता रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किए जाने की तारीख से होती है, "लिखित की तारीख से नहीं।"

टिप्पण: रजिस्ट्रीकृत स्वामियों या बंधकदारों को अनुस्मरण कराया जाता है कि उनके निवास में किसी भी परिवर्तन की सूचना भारतीय पोत के रजिस्ट्रार को दें।

रजिस्ट्री प्रारूप सं. 12 मूल्य

व्यष्टि या संयुक्त स्वामी

बंधक (चालू खातों आदि को प्रतिभूत करने के लिए)

टिप्पण :—अन्तरण की दशा में यह निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में पृष्ठांकन द्वारा किया जाए। व्यष्टियों या संयुक्त स्वामियों द्वारा बंधक का अंतरण

(क)·· ·········इसमें उल्लिखित········ ···द्वारा आज (ख) ·············संदत्त ···· ·के प्रतिफल में लिखित प्रतिभूति के अंतर्गत फायदों को (ग)···· ·· ····अंतरण करता हूं/करते हैं जिसके साक्ष्य स्वरूप आज तारीख·········को (ग) ···· ···· ··(घ) ·············नामक हस्ताक्षर पर (घ) ······· · ···मुद्रा लगाता हूं/लगाते हैं।

..... ·············· · ·······उपरोक्त नामित द्वारा (ङ)·· ·· ········ ······· ·····की उपस्थिति में निष्पादित किया गया।

(क) "मैं" या "हम" (ख) "मुझे" या "हमें" (ग) "उसे" या "उन्हें" या "यह" (घ) "मेरा" या "हमारा" (ङ) यहां दो से अन्यून साक्षियों के नाम पते और विवरण दें। (च) "उसे" "उन्हें" या "यह"।

कम्पनी या निगमित निकाय द्वारा बंधक का अन्तरण

इसमें उल्लिखित.....आज तारीख को.....द्वारा संदत्त.....के प्रतिफल में लिखित प्रतिभूति के अन्तर्गत फायदों का अंतरण करता हूं/करते हैं। जिसके साक्ष्य स्वरूप आज तारीख.....को हम अपनी सामान्य मुद्रा लगाते हैं।

.....की सामान्य मुद्रा.....की उपस्थिति में.....लगाई गई ।

_____

_____

_____

टिप्पण :—बंधकदार को भुगतान कर दिए जाने की दशा में इसके उन्मोचन शापन के लिए निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा ।

व्यष्टियों का संयुक्त स्वामियों द्वारा लिखित प्रतिभूति के उन्मोचन में..... ..... की धनराशि प्राप्त की । स्थान.....आज तारीख.....साक्षी.....

कंपनी या निगमित निकाय द्वारा

अपनी सामान्य मुद्रा

लिखित प्रतिभूति के उन्मोचन में.....की धनराशि प्राप्त हुई। जिसके साक्ष्य में हम अपनी सामान्य मुद्रा आज तारीख.....को स्थान.... में लगाते हैं । ..... की सामान्य मुद्रा

_____

_____

_____

.....की उपस्थिति में लगाई गई है।

*कम से कम दो साक्षियों अर्थात् निदेशकों, सचिव (यथा स्थिति) के हस्ताक्षर और विवरण दें ।

राष्ट्रीय संप्रतीक
भारत सरकार द्वारा
जारी

बंधक [चालू खाता आदि को प्रतिभूत करने के लिए (कंपनी)]
(वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958, धारा 47, 48 और 53)

शासकीय संख्या	पोत का नाम	संख्यांक, तारीख और रजिस्ट्री पत्तन	वाष्प पोत मोटर पोत	नोदन शक्ति
				—

मीटर

लम्बाई.....

चौड़ाई.....

पोत मध्य खड़ी गहराई.....

सकल

टन भार

शुद्ध

और सर्वेक्षक के प्रमाणपत्र और रजिस्टर पुस्तिका मे यथावर्णित अधिक विवरण ।

(क) ---

अतः अब हम (ख)------------------------------अपने और अपने उत्तराधिकारियों के लिए आमुख के प्रतिफल में उक्त------------------------------और (ग) ------------------------------के साथ की गई प्रसंविदा में इस प्रतिभूति पर तत्समय शोध्य राशि को, चाहे मूलधन या ब्याज के रूप में हो, पूर्वोक्त समय और रीति में उसे, उन्हें या उसको संदाय करने के लिए समनुदेशित करते है और उक्त------------------------------की अंतिम पूर्वोक्त ऐसी राशि के संदाय को अधिक सुरक्षित करने के लिए हम उक्त........................विशिष्ट रूप से ऊपर वर्णित पोत, उसकी नौकाओं और अनुलग्नकों में उक्त------------------------------शेयरों को, जिनके हम स्वामी हैं, बंधक रखते हैं।

अंततः हम अपनी और अपने उत्तराधिकारियों की ओर से उक्त....................और (ग)............... के साथ प्रसंविदा में यह समनुदेशन करते हैं कि हम उपरोक्त उल्लिखित रीति में, शेयरों को बंधक रखने में सक्षम हैं और वे विल्लंगमों (घ) .... से मुक्त हैं।

इसके साक्ष्यस्वरूप हमने इस पर तारीख.................. 19..............को अपनी सामान्य मुद्रा लगा दी है।

........................की सामान्य मुद्रा इस पर....................

....

की उपस्थिति में लगाई गई

(क) यहां यह परिवर्णित करें कि बंधककर्ता (कंपनी का विवरण देते हुए उसका नाम दें) और बंधकदार (पता और विवरण दें) के बीच चालू खाता है और संव्यवहार की प्रकृति का वर्णन करें कि किसी दिए गए समय पर मूलधन और ब्याज की देय रकम को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा और संदाय की रीति तथा समय (ख) कंपनी का नाम (ग) "उसका", "उनके" या "इसका"

(घ) यदि कोई पूर्व विल्लंगम है तो "उक्त पोत की रजिस्ट्री से प्रकट के सिवाय" जोड़ें। कम से कम दो साक्षियों अर्थात्, निदेशकों, सचिव आदि (जैसी भी स्थिति हो) के हस्ताक्षर और विवरण।

टिप्पण :—बंधकदार की प्रतिभूति के लिए, पोत के रजिस्ट्री पत्तन पर बंधक विलेख का तत्काल रजिस्ट्रीकरण कराना आवश्यक है क्योंकि बंधक की पूर्विकता इसके प्रस्तुतिकरण की तारीख से होती है न कि लिखित की तारीख से।

टिप्पण :—रजिस्ट्रीकृत स्वामियों या बंधकदारों को, उनके आवास में किसी परिवर्तन के संबंध मे, पोतों के रजिस्ट्रार को सूचित करते रहने के महत्व को स्मरण कराया जाता है।

रजिस्ट्री प्ररूप सं. 13

बंधक चालू खाते की प्रतिभूति के लिए (कम्पनी)

विशेष ध्यान दें :—अन्तरण के मामले में, यह निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक पर पृष्ठांकन द्वारा किया जाना चाहिए ।

व्यष्टियों या संयुक्त स्वामियों द्वारा बंधक का अन्तरण

(क) "मैं" या "हम"
(ख) "मुझे" या "हमे"
(ग) "उसके", उनके या "इसके"
(घ) "मेरी" या "हमारी"
(ङ) कम से कम दो साक्षियों के नाम, पते और विवरण ।

(क) .....इसमें उल्लिखित.....आज तारीख को.....द्वारा
(ख) .....! संदत्त.....के प्रतिफल में (ग).....लिखित प्रतिभूति के अंतर्गत फायदों को.....अन्तरित करते हैं । इसके साक्ष्यस्वरूप (क)..... आज तारीख.....एक हजार नौ सौ.....इस पर हस्ताक्षर कर (घ).... मुद्रा लगाता हूं/लगाते है.....उपरोक्त नामितो द्वारा (ङ).....की उपस्थिति में निष्पादित किया गया । कंपनी या निगमित निकाय द्वारा बंधक का अन्तरण इसमें उल्लिखित.....आज तारीख.....को.....द्वारा संदत्त.....के प्रतिफल में लिखित प्रतिभूति के अंतर्गत फायदों को..... (ग) को अन्तरित करते हैं । इसके साक्ष्य-स्वरूप हमने इस पर तारीख..... एक हजार नौ सौ.....को अपनी सामान्य मुद्रा लगा दी है।

.....की सामान्य मुद्रा इस पर.....

.....

की उपस्थिति में लगाई ।

विशेष ध्यान दें : ऐसे मामलों में जिसमें बंधक का भुगतान कर दिया जाता है, उसके उन्मोचन ज्ञापन के लिए निम्नलिखित में से कोई एक प्ररूप प्रयोग किया जाना चाहिए ।

व्यष्टियों या संयुक्त स्वामियों द्वारा

आज तारीख..... 19.....को.....पर लिखित प्रतिभूति के अंतर्गत बंधक के उन्मोचन में.....की राशि प्राप्त की । साक्षी (ङ).....

कंपनी या निगमित निकाय द्वारा

आज तारीख----------, 19------को----------पर लिखित प्रतिभूति के अन्तर्गत बन्धक के उन्मोचन में----------की राशि प्राप्त की । इसके साक्ष्य स्वरूप हमने इस पर तारीख ----------की एक हजार नौ सौ----------को अपनी सामान्य मुद्रा लगा दी है ।----------
सामान्य मुद्रा हम पर----------
----------की उपस्थिति में लगाई गई ।

*कम से कम दो साक्षियों अर्थात् निदेशक, सचिव आदि (जैसी भी स्थिति हो) के हस्ताक्षर और विवरण ।

राष्ट्रीय

संप्रतीक

भारत सरकार द्वारा जारी

भारतीय रजिस्ट्री का अनंतिम प्रमाणपत्र

[वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958—धारा 40(1)]

————, 19 को या उसके पूर्व अवसान

(पाद टिप्पण देखिए)

पोत का नाम (क)	कब और कहां निर्मित किया गया	वाष्प या मोटर पोत, कैसे नोदित किया गया

डैकों की संख्या ———— पदार्थ ————

स्तंभ ———— वर्णन ————

स्टर्न ———— दीवालों की संख्या————

	माप	टनभार
लम्बाई ————	मीटर	सकल ————
चौड़ाई ————		शुद्ध ————

पोतमध्य खड़ी गहराई ————

इंजनों की संख्या ————

नोदन शक्ति ————

इंजन निर्माता का नाम और पता————

सर्वेक्षण के प्रमाणपत्र के अनुसार टिप्पण

मैं, अधोहस्ताक्षरी————जो————के पत्तन पर भारतीय कौंसल हूं, निम्नलिखित प्रमाणित करता हूं —

1. पोत का, जिसका विवरण मेरे इस अनन्तिम प्रमाण-पत्र से पहले दिया गया है, सम्यक् रूप से सर्वेक्षण किया गया है और उपरोक्त विवरण सत्य है। (ख)

2. ——————————का——————————उक्त पोत का मास्टर है।

3. उपरोक्त पोत के सभी शेयर निम्नलिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) जिनके नाम नीचे दिए गए हैं, ने तारीख—————— 19————को————————————स्थान पर क्रय किए हैं।

या*

4. निम्नलिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) जिनके नाम नीचे दिए गए हैं, के खाते में पोत का निर्माण——————————स्थान पर किया गया।

स्वामी का नाम, निवास और उपजीविका	दसवें शेयरों का नाम

स्थान——————आज तारीख————————————एक हजार नौ सौ——————

————————————————भारतीय कौंसल

टिप्पण : रजिस्ट्री का यह अनन्तिम प्रमाणपत्र वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 40 (1) के उपबंधों के अधीन जारी किया गया है और यह तारीख——————19————तक या पोत के अपनी जल यात्रा——————से उस पत्तन तक पूरी करने तक जहां भारतीय पोत रजिस्ट्रार है, में से जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त रहेगा।

(क) अंतःस्थापित किया जाने वाला पोत का नाम विद्यमान विदेशी नाम होगा, जब तक कि नाम के परिवर्तन को पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत न किया जाए। (ख) यदि प्रयोजन के लिए इस पोत का सर्वेक्षण नहीं किया गया है, तो कौंसिल, जहां तक हो सके पोत का पूरा और सही विवरण यह बताते हुए कि उसको वह कैसे उपाप्त हुआ, अन्तःस्थापित करे। जो लागू न हो उसे काट दें। यहां इस प्रमाण पत्र के जारी होने की तारीख से छह मास पश्चात् की तारीख अन्तःस्थापित करे।

राष्ट्रीय संप्रतीक भारत सरकार द्वारा जारी किया गया।

(नाम का अनुमोदन) संकेत अक्षर और शासकीय संख्या के आवंटन के लिए आवेदन
(वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958, धारा 55)

टिप्पण : पहले ही से रजिस्टर पर उल्लिखित पोत के नाम के परिवर्तन के लिए किसी आवेदन पत्र के लिए इस प्रारूप का प्रयोग नहीं किया जाए।

1. प्रस्थापित

नाम
अधिमान्य के क्रम में
वैकल्पिक नाम दिए जाने चाहिए
यदि प्रथम नाम प्राधिकृत न
किया जा सके (कम से कम
तीन नाम दीजिए)

2. यदि नया पोत हो कृपया बताएं—

(क) विनिर्माता का नाम और पता

(ख) यार्ड संख्या

3. यदि पोत को क्रय किया गया है, कृपया बताएं ।

(क) पहले का विदेशी नाम यदि कोई हो ।

(ख) वह पत्तन जिस पर अब पोत है ।

4. पोत का टनभार (लगभग) और नोदन की पद्धति————————————भाप या मोटर

5. पोत का प्रस्थापित व्यापार—

6. प्रस्थापित तारीख और रजिस्ट्री पत्तन

7. स्वामी का नाम और पता

मैं प्रमाणित करता हूं कि पोत रेडियो टेलीग्राफी/टेलीफोनी/उपकरण से युक्त है।

आवेदन कर्ता के हस्ताक्षर .....

भारतीय पोत के रजिस्ट्रार पता .....

....197.....

नाम के प्रमाणीकरण संकेत अक्षर और शासकीय संख्या के आबंटन के लिए अग्रेषित

भारतीय पोत के रजिस्ट्रार

पोत परिवहन, के महानिदेशक मुंबई.....199.....

पोत परिवहन के महानिदेशक का प्रमाणपत्र

मैं प्रमाणित करता हूं कि नाम.....पहले से ही रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य पोत का नाम नहीं है या किसी रजिस्ट्रीकृत नाम से इतना मिलता जुलता नहीं है जिससे कि प्रवंचना की जा सके।

निम्नलिखित संकेत अक्षर और शासकीय संख्या आबंटित किए जाते हैं।

संकेत अक्षर	शासकीय संख्या
भारतीय पोत के रजिस्ट्रार	पोत परिवहन के महानिदेशक.....
.....	.....199.....

यह प्रमाणपत्र, जब अनुज्ञेय हो, रजिस्ट्री पत्तन पर रजिस्ट्रार द्वारा रखा जाएगा। यदि इस प्रमाणपत्र की तारीख के बारह मास के भीतर पोत रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाता है तो प्राधिकार समाप्त हुआ समझा जाएगा लेकिन यदि पर्याप्त कारण दर्शाया जाता है तो प्राधिकार का नवीकरण किया जा सकेगा।

रजिस्ट्री प्ररूप सं. 15

निर्माणकर्ताओं, स्वामियों या इंजन निर्माताओं द्वारा दिए गए विवरण का प्रमाणित उद्धरण

नोदन इंजन आदि के विवरण जो निर्माणकर्ताओं, स्वामियों और इंजन निर्मातओं द्वारा दिया गया है।

इंजनों के सेटों की संख्या	इंजनों का विवरण	भारत में बना या विदेश में	निर्माताओं के प्रत्यागामी इंजन घूर्णी		स्ट्रोक की लम्बाई	प्रत्येक जेट में सिलेण्डर की मात्रा	पोत की अनुमानित गति
			नाम और पते	प्रत्येक जेट में सिलेण्डरों की संख्या और व्यास			

शैफ्टों की संख्या

बायलरों की सं.

वर्णन . . . .

संख्या . . . .

भारित दाब . . . .

सर्वेक्षक

. . . . 19

रजिस्ट्री प्ररुप संख्या—16

राष्ट्रीय संप्रतीक भारत सरकार द्वारा जारी किया गया।

सर्वेक्षक का प्रमाणपत्र

(वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958—धारा 27)

पोत का नाम	आशयित रजिस्ट्री का पत्तन	नाम और शासकीय संख्या यदि कोई पूर्ववर्ती रजिस्ट्री हो

क्या इसका निर्माण भारत या विदेश में किया गया हैं	क्या यह भाप या मोटर पोत है, किस प्रकार नोदन है	कब निर्माण हुआ	कहां निर्माण हुआ	विनिर्माताओं के नाम और पते

डेकों की संख्या	"लम्बाई"	मीटर
स्तम्भ	"चौड़ाई"	————
स्टर्न		
तात्विक वर्णन		————
दिवालों की संख्या	पोत मध्य	
	खड़ी	
	गहराई	————
		————
		————

टन भार का विवरण

उसके अन्तर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र (1969)/भारत टनभार प्रमाणपत्र (1987) के अनुसार इस पोत का निम्नलिखित टनभार है—

सकल टनभार ....

शुद्ध टनभार... ....

अन्तर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र (1969)/भारत टनभार प्रमाणपत्र (1987)* के अनुलग्नक में पोत के लिए टनभार का ब्यौरेवार सारांश दर्शाया गया है। नाविकों और शिशुओं की संख्या जिनके लिए स्थान को प्रमाणित किया गया है।

*हटाएं जैसा उचित हो।

मैं वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा VI के अधीन नियुक्त हुआ सर्वेक्षक अधोहस्ताक्षर ने उपरोक्त नाम के पोत का सर्वेक्षण किया है और प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त विवरण सत्य है और उसका नाम प्रत्येक अनुभाग पर चिन्हित है और उसका नाम रजिस्ट्री का पत्तन उसके स्तम्भों के सहजदृश्य भाग पर उचित रूप से चिन्हित है और यथा विहित उसके डुबाव की सूचना देने वाला मीटरों का मापमान उसके स्तम्भों की प्रत्येक ओर तथा उसके पृष्ठ भाग पर चिन्हित है।

स्थान ....

तारीख..................

सर्वेक्षक

संकेत अक्षर (यदि कोई हो)

महानिदेशक, पोत परिवहन, मुम्बई को पारेषण के लिए रजिस्टर की अनुलिपि
[वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958–धारा 74 (2) (ज)]

शासकीय संख्या	पोत का नाम	संख्या वर्ष और रजिस्ट्री पत्तन

संख्या, वर्ष और पूर्व रजिस्ट्री का पत्तन (यदि कोई है) और नाम-

विदेश में निर्माण हुआ या भारत में	पोत कैसे नोदित है, भाप या मोटर द्वारा	कहां निर्मित हुआ	कब निर्मित हुआ	निर्माणकर्ता का नाम और पता

डकों कं. संख्या	लम्बाई	मीटर
स्टर्न	चौड़ाई	
स्तंभ	पोत मध्य	
तात्विक वर्णन	खड़ी	
दिवालों की संख्या	गहराई	

टनभार का विवरण

सर्वेक्षक के प्रमाण पत्र के अनुसार

मास्टर का नाम — सक्षमता प्रमाण पत्र संख्या

सेवा संख्या

स्वामियों के नाम, निवास, स्थान और वर्णन तथा प्रत्येक स्वामी द्वारा धृत समवें शेयरों की संख्या — अर्थात : 66

निर्माणकर्ताओं, स्वामियों और इंजन निर्माताओं द्वारा दिए गए विवरण का प्रमाणित उद्धरण

इंजनों के सैटों की संख्या	इंजन का वर्णन	विदेश में निर्माण हुआ या भारत में	कब निर्माण हुआ	निर्माताओं के नाम और पते	प्रत्यागामी इंजन			
					प्रत्येक सेट में सिलेण्डरों की संख्या और व्यास	स्ट्रोक की लम्बाई	रोटरी इंजन प्रत्येक में सिलेण्डरों की संख्या	नौदन शक्ति पोत की अनुमानित गति

शैफ्टों की संख्या	बायलर का विवरण वर्णन संख्या भारित दाब

पानी के बैलास्ट टैंकों की संख्या और टन में उनकी क्षमता

———————19

भारतीय पोत में रजिस्ट्रार मुम्बई

रजिस्ट्री प्ररूप संख्या 17

रजिस्ट्री के पश्चात् के संव्यवहारों की प्रति

[वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1948—धारा 74 (2) (ज)]

संप्रतीक भारत सरकार द्वारा जारी किया गया	भाप या मोटर	टनभार	
		शुद्ध	सकल

पोत की शासकीय सं. — पत्तन का नाम ———————

पोत का नाम ———————रजिस्ट्री सं. और तारीख———

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2	स्तम्भ 3	स्तम्भ 4	स्तम्भ 5	स्तम्भ 6	स्तम्भ 7
संव्यवहार की सं.	बंधकों का द्योतन करने वाला पत्र	उस व्यक्ति का नाम जिससे हक व्युत्पन्न हुआ है	प्रभावित शेयरों (अंशों) की संख्या	रजिस्ट्री की तारीख और समय	संव्यवहार की प्रकृति और तारीख	अंतरिती, बंधकदार या हक अर्जित करने वाले अन्य व्यक्ति का नाम, निवास स्थान और उपजीविका

स्तम्भ 8	संक्षिप्त विवरण					
पश्चातवर्ती संव्यवहारों की संख्या और लेखा जिसमें यह दर्शित होता हो कि ब्याज का व्ययन किस प्रकार हुआ	स्तम्भ 9 उस संव्यवहार की सं. जिसके अधीन हक अर्जित हुआ	स्तम्भ 10 स्वामियों के नाम	स्तम्भ 11 बंधक	स्तम्भ 12 बंधकधारकों के नाम	स्तम्भ 13 शेयरों (अंशों) की संख्या	स्तम्भ 14 टिप्पणियां

रजिस्ट्रार

टिप्पण : यह किसी लिफाफे मे पोत परिवहन महानिदेशक, मुम्बई को भेजा जाए।

रजिस्ट्री प्ररूप सं. 18

संप्रतीक

भारत सरकार द्वारा जारी किया गया

अंतर्राष्ट्रीय संकेत कोड

सं.

पोत परिवहन महानिदेशक का कार्यालय
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
भारत सरकार

तारीख——————————19

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि नीचे उल्लिखित भारतीय रजिस्ट्रीकृत पोतों को निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संकेत कोड विनियोजित किए गए है।

(टिप्पण : विभिन्न स्तम्भो की विशिष्टियां, यथासंभव रजिस्टर बही में की गई प्रविष्टियों से मिलती हो)।

विनियोजन की तारीख	विनियोजित संकेत अक्षर	पोत का नाम	रजिस्ट्री का पत्तन सं. और तारीख	शुद्ध रजिस्ट्रीकृत टनभार	आकलित अश्व शक्ति	शासकीय संख्यांक	रजिस्ट्रीकृत स्वामी या अभिकर्ता का नाम और पता
1	2	3	4	5	6	7	8

सेवा मे,

सलाहकार
बेतार योजना और समन्वय
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
नई दिल्ली–1

भवदीय

पोत परिवहन महानिदेशक, मुम्बई

रजिस्ट्री प्ररूप स. 19

714 GI/94—6

संप्रतीक
भारत सरकार द्वारा
जारी किया गया

पोत उत्कीर्ण और चिह्नांकन टिप्पण

पोत का नाम	रजिस्ट्री पत्तन	शासकीय संख्यांक	रजिस्ट्रीकृत शुद्ध टनभार

ऊपर कथित शासकीय संख्यांक और टनभार 30 सें. मी. × 6 सें. मी. की पीतल की प्लेट पर काटे जाने हैं और जलयान के नौचालन स्थल पर सहज दृश्य स्थान में चिपकाए जाने हैं।

भारतीय पोतों का रजिस्ट्रार
——————पत्तन

तारीख

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने ऊपर नामित जलयान का निरीक्षण किया है और यह पाया है कि ऊपर कथित शासकीय संख्यांक और टनभार 30 सें. मी. × 6 सें. मी. की पीतल की लेट पर कटे हुए हैं और उन्हें नौचालन स्थल पर सहजदृश्य स्थान में लगा दिया गया है यह कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 28 की अपेक्षानुसार उसका नाम उसके प्रत्येक माथे पर चिह्नित है और उसका नाम तथा उसके रजिस्ट्री पत्तन का नाम उसके स्टर्न पर चिह्नित हैं।

——————
सर्वेक्षक

तारीख——————
स्थान——————

रजिस्ट्री प्ररूप सं. 20

पोतों की वार्षिक विवरणी

राष्ट्रीय संप्रतीक
भारत सरकार
द्वारा जारी

——————————पत्तन

वर्ष——————————के दौरान——————पत्तन पर टनभार आदि में परिवर्तनों को दर्शाते हुए बढ़ाए गए या हटाए गए पोतों की सूची।

वर्ष और पत्तन	शासकीय संख्यांक	संख्या	पोतों के नाम वर्ष और पत्तन सं. के अनुसार अलग अलग दिखाते हुए सर्वत्र व्यवस्थित करें।	वर्ष जिसमें निर्मित किया गया है (प्रत्येक दशा में वर्णन करें)	रजिस्टर पर शेष पोतों का टनभार वाष्प पोत	रजिस्टर पर शेष पोतों का टनभार मोटर पोत	जिनके रजिस्टर बंद कर दिए गए हैं पोतों का टनभार वाष्प पोत	जिनके रजिस्टर बंद कर दिए गए हैं पोतों का टनभार पोत	जिनके रजिस्टर बंद कर दिए गए हैं पोतों का टनभार मोटर पोत
			1. ऐसे पोत जिनका वर्ष के दौरान रजिस्टर बंद कर दिया गया है। रजिस्टर बंद किए जाने का कारण और तारीख लाल स्याही से अन्तःस्थापित करें।						

	2. वर्ष के दौरान बढ़ाए गए पोत :—			सकल	शुद्ध			सकल	शुद्ध	सकल	शुद्ध		सकल	शुद्ध	
	(क) पहली बार रजिस्ट्रीकृत किए गए पोत उस स्थान का वर्णन करते हुए जहां निर्मित किया गया है।														
	(ख) विदेशियों से क्रय किए गए पोत							टनभार में बढ़ोतरी		परिवर्तन लेना			जिसमें मास्टर भी शामिल है।		
	(ग) अन्त पोतों से अन्तरित पोत पूर्व रजिस्ट्री के पत्तन और वर्ष का वर्णन करें।							सकल	शुद्ध	सकल	शुद्ध				
	(घ) नए रूप से रजिस्ट्रीकृत किए गए पोत, कारणों का वर्णन करें।														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

31 दिसंम्बर, 19 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार

	वाष्प पोत			मोटर पोत		
पिछले वर्ष के अंत में रजिस्टर पर शेष	पोत	सकल टनभार	शुद्ध टनभार	पोत	सकल टनभार	शुद्ध टनभार
जोड़ा :						
पहली बार रजिस्ट्रीकृत पोत (विदेशियों से क्रय किए गए पोतों को छोड़कर)						
(क) भारत के पत्तनों पर निर्मित नए पोत						
(ख) अन्य पोत						
विदेशों में बने या विदेशियों से क्रय किए गए पोत						
भारत के पत्तनों से अन्तरित पोत						
नए रजिस्ट्रीकृत पोत						
अन्य पोत						
*पुनः मापन परिवर्तन के फलस्वरूप जोड़ा गया टनभार (पुनःरजिस्ट्रीकरण के बिना)						
जोड़ा गया योग						
सकल योग						

घटाया :

ध्वंस हुए या अन्यथा हानिग्रस्त पोत———————————

टूटे हुए, क्षयित या जलयात्रा के लिए स्थाई रूप से अनुपयुक्त पोत———————————

विदेशियों को विक्रित पोत———————————

भारत में पत्तनों को अंतरित पोत———————————

नए रजिस्ट्रीकृत पोत———————————

नए रजिस्ट्रीकृत पोत———————————

अन्य पोत

*पुनः मापन या परिवर्तन के फलस्वरूप घटाया गया

टनभार (पुनः रजिस्ट्रीकरण के बिना)

———————————

घटाया गया योग ———————————

$31 दिसंबर, 19 को रजिस्टर पर अंतिम शेष ———————————

*इसमें ऐसे पोत के टनभार में परिवर्तन सम्मिलित नहीं किया जाना है जो न रूप में रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं या जो अन्य पत्तन से अन्तरित किए गए हैं।

$ये योग, पूर्व पृष्ठ पर किए गए तत्स्थानी योग के अनुरूप होने चाहिए।

सेवा में,

पोत परिवहन महानिदेशक, ———————भारतीय पोत का रजिस्ट्रार

मुम्बई ———————19,

रजिस्ट्री प्ररूप 21

प्रारूप 22(क)

पोत का नाम——————— संकेताक्षर———————

पोत कैसे चालित है : वाष्प द्वारा या मोटर द्वारा	कहां निर्माण किया गया	कब निर्माण किया गया	निर्माणकर्ताओं का नाम और पता

डेक की संख्या———————	स्तम्भ के सामने के सिरे से पृष्ठ भाग के शीर्ष तक की लंबाई
मस्तूल की संख्या———————	प्लेटों के बाहर की मुख्य चौड़ाई
सज्जित———————	भार डेक से छत तक पोत मध्य की गहराई
स्तम्भ———————	तीन या अधिक डेकों के मामले में ऊपरी डेक से
स्टर्न ———————	छत तक पोत मध्य की गहराई
बनावट———————	बाजू के ऊपरी डेक से नौतल तक पोत मध्य की गहराई
ढांचा और विवरण ———————	बीम का घेरा
पोतभीतों की संख्या———————	इंजन की कक्ष लंबाई

नोदन इंजनों और सिलिंडरों की विशिष्टियां

इंजन सेटों की संख्या	इंजनों का विवरण	भारत या विदेश में निर्मित	कब निर्माण किया गया	निर्माताओं के नाम और पते	प्रत्यागामी इंजन	घूर्णी इंजन	एन एच.पी.
					प्रत्येक सेट के सिलिंडरों की संख्या और लंबाई ब्यास स्ट्रोक की लंबाई	प्रत्येक सेट के सिलिंडरों की पोत की संख्या	वी.एच.पी. आई.एच.पी. पोत की अनुमानित गति
		इंजन	इंजन	इंजन			
शाफ्टों की संख्या	निर्माणकर्ता की विशिष्टियां विवरण—— संख्या—— लोहे या इस्पात का भारित दाब	वायलर	वायलर	वायलर			

जल में भरे टैंकों की संख्या और उनकी टनों में क्षमता :—

टिप्पण: 1. ऊपरी डेक के नीचे इंजन कक्ष स्थान का टनभार ..... घन मीटर और ऊपरी डेक के ऊपर नोदन मशीनरी और प्रकाश तथा वायु के लिए छोड़े गए कुल स्थान का भार ..... घन मीटर है।

2. ऊपरी डेक के ऊपर का निम्नलिखित स्थान पोत के रजिस्टर टनभार के रूप में उल्लिखित घन मीटरों में सम्मिलित नहीं है ।

3. बेसुन भंडार कक्ष की अवधारित और टनभार निम्न प्रकार है :—

भारतीय पोत का रजिस्ट्रार

सारांश

स्तम्भ 10	स्तम्भ 11	स्तम्भ 12	स्तम्भ 13	स्तम्भ 14
स्वामियों के नाम	अंधक	बंधकों के नाम	धारित शेयरों की संख्या	टिप्पणियां

पोत की शासकीय संख्या—— सकेताक्षर——

संख्या, वर्ष और रजिस्ट्री पत्तन	संख्या, वर्ष और पूर्व रजिस्ट्री पत्तन (यदि कोई है) तथा नाम	भारत या विदेश में निर्मित

टनभार की विशिष्टियां

कुल टनभार	जब टनभार चिह्न पानी के नीचे न हो		जब टनभार चिह्न पानी के नीचे हो		अनुज्ञेय कटौतियां	टन संख्या
	टन	घनमीटर	टन	घनमीटर	नोदक शक्ति के लिए अपेक्षित स्थान के संबंध में	
1. भार डेक के नीचे—					कर्मीदल की वास-सुविधा के रूप में दिए गए स्थान के संबंध में, जो निम्न प्रकार है :—	
2. डेकों के बीच का स्थान—						
3. टरेट या ट्रंक—						
4. गलही डेक—						
5. ब्रिज का स्थान—						
6. पूप —						
7. ब्रेक—					नाविकों या शिशुओं की संख्या जिनके लिए वास सुविधा प्रभावित की गई है।	
8. बाजू के गृह—						
9. डेक के गृह—						
10. चार्ट खृह—						
11. मशीनरी और प्रकाश तथा वायु के लिए स्थान—					अन्य कटौतियां निम्न प्रकार हैं :	
12. फलक-मुख से आधिक्य—						
सकल टनभार	—					
सामने दी गई कटौतियां	—					
रजिस्टर टनभार					कुल कटौतियां	

ऊपरी डेक के नीचे रखे इंजन कक्ष का स्थान का टनभार । मोहल मशीनरी और प्रकाश तथा वायु के लिए ऊपरी डेक के ऊपर बनाए गए कुल स्थान का टन भार ।

टिप्पण : 1. भार डेक के ऊपर का नीचे वर्णित स्थान पोत के रजिस्टर टन भार के भाग रूप में घनीय अन्तर्वस्तु में सम्मिलित नहीं है ।

टिप्पण : 2. बेसुन भंडार कक्ष की अवस्थिति और क्षमता निम्न प्रकार है :—

स्वामियों के नाम, निवास स्थान और विवरण तथा प्रत्येक स्वामी द्वारा धृत दसवें शेयरों की संख्या

दूसरे डेक के नीचे इंजन कक्ष का टन भार । नौवन मशीनरी और प्रकाश तथा वायु लिए दूसरे डेक के ऊपर बनाए गए कुल स्थान का टन भार ।

टिप्पण : 1. भार डेक के ऊपर का नीचे वर्णित स्थान पोत के रजिस्टर टन भार के भाग रूप में घनीय अन्तर्वस्तु में सम्मिलित नहीं है ।

टिप्पण : 2. बेसुन भंडार कक्ष की अवस्थिति और क्षमता निम्न प्रकार है :—

तारीख

स्तंभ 1	स्तंभ 2	स्तंभ 3	स्तंभ 4	स्तंभ 5	स्तंभ 6	स्तंभ 7	स्तंभ 8	स्तंभ 9

पहली रजिस्ट्री जारी मारांश प्रारूप 22 (ख)

स्तंभ 10	स्तंभ 11	स्तंभ 12	स्तंभ 13	स्तंभ 14
स्वामी का नाम	बन्धक	बन्धकों के नाम	धारित शेयरों की संख्या	टिप्पणिया
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

पश्चात्वर्ती संव्यवहार टन भार

शासकीय संख्या पोत का नाम सं., वर्ष और रजिस्ट्री पत्तन वाष्प या मोटर रजिस्टर सकल

स्तंभ 1	स्तंभ 2	स्तंभ 3	स्तंभ 4	स्तंभ 5	स्तंभ 6	स्तंभ 7	स्तंभ 8	स्तंभ 9
संव्यवहार संख्या	बन्धक धोतन पत्र	उस व्यक्ति का नाम जिससे हक प्राप्त हुआ	प्रभावित शेयरो की संख्या	रजिस्ट्री की तारीख और समय	संव्यवहार की प्रकृति और तारीख	अंतरिती, बंधकदार या हक प्राप्त करने वाले अन्य व्यक्ति का नाम, आवास और उपजीविका	हित के व्ययन को दर्शाते हुए पश्चात वर्ती संव्यवहार की संख्या और लेखा	अर्जित हक के अधीन संव्यवहार की संख्या
1								
2								
3								
4								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
9								
10								

[फा सं. एस. आर. 11013/3/91-एम.ए.]

ओ.पी. माहे, अवर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

New Delhi, the 17th March, 1994

(MERCHANT SHIPPING)

G.S.R. 160.—In exercise of powers conferred by Sub-section (i) of section 74 read with section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby make the following rules further to amend the Merchant Shipping (Registration of Indian Ships) Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Registration of Indian Ships) Amendment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Merchant Shipping (Registration Indian Ships) Rules, 1960,—

(1) in rule 1, in sub-rule (3) the words "but do not apply to a ship not exceeding 15 tons net and employed solely in navigation on the coasts of India", shall be omitted;

(2) in rule 3, after clause (c) following clause shall be added, namely :—

"(d) permission of the Director General of Shipping to register a ship";

(3) in rule 4, for the words "Justice of the Peace" the words "Special Executive Magistrate" shall be substituted;

(4) in rule 5, for the figures "1960" the figures "1987" shall be substituted.

(5) in rule 10,

(a) in clause (a),—

(i) the words "four inches" and "or half an inch" occuring at two places shall be omitted.

(ii) the words "ships" name and the port of registry shall be marked both in Hindi and English with Hindi letters in superior position" shall be added at the end.

(b) in clause (b), for the words "cut in" the words "on a brass plate 30 cms long and 6 cms wide. The same shall be affixed in a consequous place on the navigation bridge" shall be substituted.

(c) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) Her scale of draught marks shall be cut off in metres and decimetres both forward and act on the port and starboard side respectively".

(d) in para after clause (c),—

(i) for the words "few feet" the words "not more than 2 metres" shall be substituted.

(ii) the words "after perpendicular in two columns parallel to each other" shall be omitted.

(e) for Schedule I, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE I

(see rule 38)

Description of Forms	Registry Form No.
1. Certificate of Indian Registry	1
2. Provisional certificate of registry granted by Indian Consular Officers	2
3. Declaration of ownership by individuals	3
4. Declaration of ownership by joint owners	4
5. Declaration of ownership of behalf of a company	5
6. Declaration of ownership or interest on transmission by death of registered owner or mortgagee	6
7. Declaration of ownership or interest on transmission by insolvency of registered owner or mortgagee	7
8. Instrument of sale (individuals or joint owners)	8
9. Instrument of sale (company)	9
10. Mortgage of secure principal sum and interest (individuals or joint owners)	10
11. Mortgage to secure principal sum and interest (company)	11
12. Mortgage to secure account current, etc. (indivicuals or joint owners)	12
13. Mortgage to secure account current, etc. (company)	13
14. Provisional certificate of Indian Registry	14
15. Application for approval of name, allotment of signal letters and official number	15

1	2	3
16.	Certificate of survey	16
17.	Transscript of register	17
18.	Transcation subsequent to registry	18
19.	Report of allotment of Signal letters to the Ministry of Communications, Government of India	19
20.	Carving and Marking Note	20
21.	Annual Return of ships	21
22.	Register Book Form	22(a)
23.	Register Book Form	22(b)"

(7) for Schedule II, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE II

(see rule 39)

		Rupees
1.	On initial Registry re-registry, registery a new or registration on transfer on port or registery Processing fee Registration fee	500.00
	(a) Ships upto 3000 GRT subject to minimum of Rs. 1500/-	1.00 per GRT
	(b) Ships from 1600 GRT to 20000 GRT—subject to maximum of Rs. 15000/-	1.00 per GRT
	(c) Ships 20000 GRT and above	15000 GRT + Rs. 1.00 per GRT in excess 20000 GRT
2.	For supply of Duplicate copy of Certificate of Registry. . . . . .) Provisional Certificate of Registry	500.00
3.	for registry of mortgage 10 paise for every Rs. 1,000/- of the value of mortgage with a minimum charge of Rs. 500/-	
4.	Release of mortgage	500.00
5.	Transfer of ownership	1000.00
6.	Transfer of share of mortgage	500.00
7.	Deletion of registry	500.00
8.	registry of alteration	500.00
9.	for change of Name of a ship :—	1000.00
	(The above fee covers the inspection of markings, the change of name on the loading, certificate and on the sues and Panama Canal Certificates, and in the case of ships holding passenger certificates the issue of fresh declarations and passenger certificates showing the new name and any alterations in the ownership and port of registry. The fee also covers the replacement of safety certificates, safety equipment certificates, safety radio telegraphy certificates or safety radio telephony certificates or exemption by certificates in the new name)	
10.	For inspection of Register Book for each inspection	100.00
11.	For inspecting Ship's markings	300.00 per visit
12.	For copies of or extracts from or searches for, documents	
	(i) For a certified copy of the particulars entered by the Registrar in the Register Book on the registry of a ship, together with a certified statement showing the ownership of the ship at that time.	500.00
	(ii) For a certified copy of any declaration document, a copy of which is made evidence by the Merchant Shipping Act, 1958	500.00
	(iii) For a certified copy of, or extracts from document declare d by the Merchant Act, 1958, to be admissible in evidence Declaration of Ownership Instrument of Sale Instrument of Mortgage Certificate of Reisgtry (initial issue) Provisional Certificate of Registry.	100.00 per copy
13.	Change of Master	250.00
14.	For issue of temporary pass or provisional certificate of Indian registry and for expansion of the period of temporary pass	1000.00
15.	For allotment of Signal letters	500.00"

Emblem

Issued by the

Government of India

CERTIFICATE OF INDIAN REGISTRY

PARTICULARS OF SHIP

(MERCHANT SHIPPING ACT, 1958, Section 34)

Official Number	Name of ship	No. Date and Port of Registry	No. Date and Port of Previous Registry (if any).

Whether Indian or reign built	Whether a Steam or Motor Ship and how propelled	Where built	When Built	Name and Address of builders

Number of Decks .		Length .	METRES
Stem .		Breadth .	
Stern ..		Moulded depth amidships	
Material			
Number of bulk heads			

Particulars to Propelling Engines, etc as supplied by Builders, Owners or Engine Makers

No. of sets of engines	Description of engines	Whether Indian or Foreign made	When made	Name and Address of makers	Reciprocating Engines		Rotary engines	Propulsion power Estimated Speed of ship.
					No. of cylinders	Diameter of cylinders	No of cylinders in each set	

No. of shafts	Particulars of Boilers Description Number Loaded pressure	Length of stroke

Particulars of tonnage

as per Certificate of Survey

I, the undersinged, Registrar of Indian Ships at the Port of Bombay, hereby certify that the Ship, the description of which is prefixed to this my Certificate, has been duly surveyed, and that the above Description is in accordance with the Register Book; that.................... ....whose Certificate of Competency or Service is No....................., is the Master of the said ship, and that the Name.. Residence and Description of the owner..., and Number of Tenth Shares Hold by..are as follows :—

Name, Residence and Occupation of the Owner	Number of Tenth Shares

Dated at————————Bombay——————————the————————————day of————————————one thousand nine hundred

————————————————registrar of Indian ships Bombay

NOTICE :—A Certificate of Registry is not a document of Title. It does not necessarily contain notice of all changes of ownership and in no case does it contain an official record of any mortagage affecting the Ship. In case of any change of ownership it is important for the protection of the interests of all parties that the change should be registered according to law. Should the ship be either actually or constructively lost, taken by the enemy, burnt or broken up or cease for any reason to be an Indian ship, notice thereof together with the Certificate of Registry, if in existence, should immediately be given to the Registrar of Indian Ships at the Port of Registry under a Penalty which may extend Rs. 1000/- for default.

REGISTRY FORM No. 1.

EMBLEM

Issued by the

Government of India

PROVISIONAL CERTIFICATE OF INDIAN REGISTRY

Issued under the provisions of Section 36(3) of the Merchant Shipping Act, 1958

Official Number	Name of Ship	No. Date and Port of Registry	Whether a Steam or Motor Ship and how propelled

Number of Decks	....	Material:	....
Stem	....	Description.	....
Stern	....	Number of Bulkheads .	....
	Measurements		Tonnages
Length	....	Gross tonnage	....
Breadth	....	Net tonnage	....
Moulded depth amidships	....		

CERTIFIED EXTRACT OF PARTICULARS SUPPLIED BY BUILDERS, OWNERS OF ENGINE MAKERS

PARTICULARS OF PROPELLING ENGINE & ETC. As supplied by Builders, Owners or Engine Makers

No. of sets of Engines	Description of Engines	Whether Indian or Foreign made	When made	Name and address of makers	Reciprocating Engines No. and Diameter of Cylinders in each set	Reciprocating Engines Length of Stroke	Rotary Engines No. of Cylinders in each set	Propulsion Power Estimated speed of ship

No. of Shafts	Particulars of Boilers
	Description.....
	Number.....
	Loaded Pressure.....

Dated :——————————19

Surveyor

Registry Form No. 2.

DECLARATION OF OWNERSHIP

BY INDIVIDUAL UNDER SECTION 29 OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958 (44 OF 1958)

Official Number	Name of Ship	Time when and place where ship was built

Particulars of Previous registry i.e. Name, Official No., Date and Port of Registry	No., Date and Port of Present Registry (to be filled in by Registrar)	Whether Steam or Motor Ship	Propulsion Power

Metres

Length .....

Breadth .....

Moulded depth amidships .....

Tonnage

Gross	Net

and as described in more detail in the certificate of the Surveyor and the Register Book.

I, the undersinged ....son of.....

occupation..... .Nationality.....

Place of birth..... .....

declare as follows :

I am a citizen of India*

form—3

The above general description of the Ship is correct.

.....whose Certificate of Competency or Service is No.....
.....is the master of the said ship.

I am the owner of.....Share/Shares in the said ship

I solemnly declare that the particulars stated therein are true to the best of my knowledge and belief.

Made and Subscribed the.....day of.....Month.....19 in the presence of.....

.....

In order to claim the status of a citizen, a person must satisfy the provisions of (i) Article 5 or (ii) Article 6 of the Constitution or (iii) the provisions of the Citizenship Act of 1955 (57 of 1955)

NOTE :—Declarations must be made before a Registrar of Indian Ships, a Justice of the peace or a Commissioner of Oaths or an Indian Consular Officer.

The qualification of the person taking the declaration is to be added to his signature.

Registry Form No. 3.

DECLARATION OF OWNERSHIP

BY JOINT OWNERS UNDER SECTION 29 OF THE MERCHANT SHIPPING ACT, 1958 (44 OF 1958)

Issued by the

Government of India

Official Number	Name of Ship	Time when place where ship was built

Particulars of previous registry i.e, Name official No. Date and port of Registry	No. Date and Port of present Registry (to be filled in by Registrar).	Whether steam or motor ship	Propulsion Power

	Metres
Length	
Breadth	
Moulded depth amid ships	

TONNAGE

Gross	Net

AND as described in more detail in the Certificate of the Surveyor and the Register Book.

JOINT OWNERS

Name	Place of Resident	Occupation	Place of birth

Firstly —Each of us, the several persons above mentioned whose names are hereunto subscribed declares as follows :—
I am a citizen of India*

1
2
3
4
5

The above general description of the ship is correct

whose Certificate of Competency or Service is No . .

is the Master of the said ship

Secondly —We the said several persons above mentioned respectively declare as follows —

We are entitled to be registered a joint owners of share/
shares in the said ship

We solemnly declare that the particulars stated herein are true to the best of our knowledge and belief

Made and subscribed the day of 19 by the above named
in the presence of

*In order to claim the status of a citizen a person must satisfy the provisions of (i) Article 5 or (ii) Article 6 of the Constitutions or (iii) the provisions of the Citizenship Act of 1955 (57 of 1955)

NOTE —Declarations must be made before a Registrar of Indian ships, a justice of the Peace or a commissioner of oaths or an Indian Consular Officer

The Qualification of the person taking the declaration is to be added to his signature

Registry Form No —4
NATIONAL EMBLEM

DECLARATION OF OWNERSHIP

ON BEHALF OF COMPANY UNDER SECTION 29 OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958 (44 OF 1958)

Issued by the

Government of India

Official Number	Name of Ship	Time when and place where ship was built

Particulars of previous registry i.e. Name official No. Date and Port of Registry	No. Date and Port of present registry (to be filled in by Registrar)	Whether steam or Motor ship	Propulsion power

	Metres
	.....
Length	
Breadth	
Moulded depth amidships	

Tonnage	
Gross	Net

and as described in more detail in the certificate of the Survey or and] the Register Book.

I, the undersigned..... son of .....residing at.....occupation.....Place of birth..... Authorised by the.....under its common seal (which authorisation is annexed hereto) declare as follows :

The said Company was registered under the Companies Act 1956, on the.....day of.....19 and has its registered office at.....and it satisfies the requirement specified in Clause (b) of Section 21 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), viz.

(i) That the principal place of bus'ness 's at.....in India,

(ii) That at least 60 percent of the share capital of the company is held by citizens of India*.

(iii) That not less than three-fourths of the total number of Directors of the Company are Citizens of India.*

(iv) That the Chairman of the Board of Directors and the Managing Director or Managing Directors, if any, of the Company are citizens of India* and

(v) That the Managing Agengs of the Company are citizens of India* (or, in case a company is the Managing Agent. That the Managing Agent is a Company which satisfied the requirements of Sub-Clause .i), (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of Section 2 of the Merchant Shipping Act, 1958.

(Strike this out if the Company has no Managing Agents).

The above general description of the ship is correct.

Note : —Declarations must be made before a Registrar of Indian Ships and a Justice of the Peace or a Commissioner of Oaths or an Indian Consular Officer.

The qualification of the prson taking the declaration is to be added to his signature.

*In order to claim the status of a citizen, a person must satisfy the provisions of(i) Article 6 of the Constitution or (ii) the provision of the citizenship Act of 1955 (57 of 1955).

.....whose Certificate of Competency or service is No.....is the Master of the said ship.

The said Company has.....shares in the ship and is entitled to be registered as owner. I solemnly declare that the particularshereinaretrue to the best of my knowledge and bellef.

Made and subscribed the .....day of.....

19 .....by the abovenamed.....

in the presence of.....

.....

EMBLEM

DECLARATION BY REPRESENTATIVE OF A DECEASED REGISTERED OWNER OR MORTGAGEE TAKING BY TRANSMISSION

ISSUED BY THE

GOVERNMENT OF INDIA

(Merchant Shipping Act, 1958, Sections 44 & (54)

Official Number	Name of Ship	No., Date and Port Registry

Whether a Steam or Motor Ship	Propulsion

	Metres
Length	
Breadth	
Moulded depth amid ships	

Tonnage

Gross .. .. .. Net .. ..

and as described in more detail in the Certificate of the Surveyor and the Register Book.

Name(s)	Father's mame(s)	Place of residence	Occupation	Place of birth

I/each of us, the several persons, above mentioned whose name(s) is/are hereunto subscribed declare as follows:—

(a) .....I/we declare that*.....
.....the person appearing by the Register Book to be the (b).....
.....share/shares in the ship above described died at.....

(c) .....
.....

I am entitled to be registered as owner/mortgagee of.....share/shares in the said ship.

I solemnly declare that the particulars stated herein are true to the best of my knowledge and belief.

Made and subscribed this.....day of
.....19..... ..by the above named
....
in the presence of .....
**

(a) In the case of ownership here state " I am " (or "we are") "an Indian citizen" (or "Indian citizens") (In order to claim the Status of a citizen, a person must satisfy the provisions of (i) Article 5 or (ii) Article 6 of the Constitution or (iii) the provisions of the Citizenship Act of 1955 (57 of 1955).

(b) "Owner " or "Mortgagee".

(c) Here insert on the .....day of.....having first duly made his will dated the.....day of.....whereby he appointed (me or us) executor, and (I or we) proved his said will on the .....day of.....in the court of .....(or).....on the.....day of .....intestate and that letters of administration of his estate and effects were on the.....day of .....duly granted to me or us) by the court of.....

* Here insert name of deceased.

** Declarations must be made before a Registrar of Indian Ships , A justice of the Peace, A Commissioner for Oaths, or an Indian Consular Officer.

The qualification of the person taking the declaration is to be added to his signature.

NOTE :— This declaration should be accompanied by a succession certificate probate or letters of administration as the case may be under the Indian Succession Act, 1925 or a duly certified copy thereof.

Registry Form No. 6

NATIONAL EMBLEM

DECLARATION OF OWNERSHIP OR INTEREST ON TRANSMISSION BY INSOLVENCY OF REGISTERED OWNER OR MORTGAGEE

(Merchant Shipping Act, 1958, Sections 44 & 54)

Issued by the
Government of India

Official Number	Name of Ship	No., Date, and Port of Registry

Whether a Steam or Motor Ship	Propulsion Power

	Metres
Length	
Main Breadth to outside of plating	
Moulded depth amid ships	

Tonnage

Gross	Net

and as described in more detail in the Certificate of the Surveyor and the Register Book

Name(s)	Father's Name(s)	Place of Residence	Occupation	Place of Birth
(a)				
(b)				
(c)				
(d)				

I/each of us, the several persons, above-mentioned whose name(s) is/are hereunto subscribed declare as follows :—

(a) ——————————————————————————

The person appearing by the Register Book to be the (b)..........................of..............................share/shares in the Ship above described was on the......................day of.........................One thousand nine hundred and..................adjudged insolvent by the (c).. appointed trustee of the property of the said..............................and (d)..................................entitled to be registered as (e)..of the said..................................share/shares of the ship.

I am entitled to be registered as owner/mortgagee of................................share/shares in the said ship.

I solemnly declare that the particulars stated herein are true to the best of my knowledge and belief.
Made and subscribed this..................................day of....................................19 , by the above named

....

in the presence of..

....
**

(a) In the case of ownership, here state "I am" (or "we are") "an Indian citizen" (or "Indian citizens"). [In order to claim the status of a citizen, a person must satisfy the provisions of (i) Article 5, or (ii) Article 6 of the Constitution or (iii) the provisions of the Citizenship Act of 1955 (57 of 1955)]

(b) "Owner" or "Mortgagee".

(c) Here state name of Court.

(d) "I am" or "we are".

(e) "Owner" or "Mortgagee".

** Declarations must be made before a Registrar of Indian Ships, a Justice of the Peace, a Commissioner for Oaths, or an Indian Consular Officer.

The qualification of the person taking the declaration is to be added to his signature.

Registry Form No. 7

Priced.

G.P.K.—Ord.—(J) Y 265—200—1.63

INSTRUMENT OF SALE (Individuals or Joint Owners)

(Merchant Shipping Act, 1958, Section 42)

....

Official Number	Name of Ship	No., Year and Port of Registry	Whether a Steam or Motor Ship	Propulsion Power

	Metres		
Length		Tonnage	
Breadth		Gross	
Moulded depth amidships		Net	

and as described in more detail in the certificate of the Surveyor and the Register Book.

(a)....................................the undersigned (b)..in consideration of the sum of ....paid to (c)..by (d) ....the Receipt whereof is hereby acknowledged, transfer.......................share in the ship above particularly described, and in her boats, and appurtenances, to the said ....Further (a)...................................the said...............................

for (e)..heirs covenant with the said ....and (f) ....assigns that (a)..have power to transfer in manner aforesaid the premises hereinbefore expressed to be transferred, and that the same are free from encumbrances (g)...... ....In witness whereof (a)..have hereunto subscribed (b) ....name.......................and affixed (h)...........................Seal this....................day of.........................One thousand nine hundred and...........................
(i) Executed by the above-named

in the presence of (i).

(a) "I" or "we" (b) here insert full name and address, with description of the transferor or transferors (c) "me" or "us".

(d) here insert full name and address, transferee or transferees with their description in the case of individuals, and adding "as joint Owners" where such is the case.

(e) "myself and my" "ourselves and our" (f) "his", "her", "their" or "its" (g) If there be any subsisting Mortgage, add "save as appears by the Registry of the said Ship".

(h) "my" or "our" (i) Names, address and description of at least two witnesses.
*Space for signature and seal.

NOTE :—A purchaser of a Registered Indian Ship does not obtain a complete title until the Instrument of Sale has been recorded at the Port of Registry of the Ship, and neglect of this precaution may entail serious consequences.

NOTE :—Registered Owners or Mortgages are reminded of the importance of keeping the Registerar of Indian Ships informed of any change of residence on their part.

REGISTRY FORM NO. 8

INSTRUMENT OF SALE (COMPANY)

(Merchant Shipping Act, 1958, Section 42)

NATIONAL EMBLEM
Issued by the
Government of India

Official Number	Name of Ship	No., Date and Port of Registry	Whether a Steam or Motor Ship	Propulsion Power

			Metres
Length	..	..	
Breadth	..	..	
Moulded depth amidships	..	..	

Tonnage	
Gross	Net

and as described in more detail in the Certificate of the Surveyor and the Register Book.

We, (a)——————having our principal place of business at——————————in consideration of the sum of——————paid to us by——————————of the Receipt whereof is hereby acknowledged transfer Shares, in the ship above particularly described, and in her boats, and appurtenances, to the said——————

Further we, the said——————————for ourselves and our successors covenant with the said——————————and (c)——————assigns that we have power to transfer in manner aforesaid the premises hereinbefore expressed to be transferred and that the same are free from incumbrances (d)——————————

In witness whereof we have hereinto affixed our common seal this——————day of——————
One thousand nine hundred and ——————

The Common Seal of the ——————

(a) Here insert Title in full of the Company. (b) here insert address in full and description of transferees or transferers.
(c) "His", "her" or "their". (d) If there be any subsising Morigage and "save as appears by the Registry of the said ship".
(e) Description of at least two witness, Directors, secretary etc. (as the case may be).

NOTE : [A Purchaser of Registered Indian Ship does not obtain a complete title until the Instruments of Sale has been recorded at the Port of Registry of the Ship and neglect of this precaution may entail serious consequences.

NOTE : Registered Owner's or Mortgages are reminded of the importance of keeping the Registrar of Indian Ships informed of any change of residence of their part.

Registry Form No. 9

NATIONAL EMBLEM MORTGAGE (to secure Principal Sum and Interest)

(Individual or Joint Owners)

(Merchant Shipping Act, 1958, Section 47, 48 and 53)

Official Number	Name of Ship	No, Date and Port of Registry

Whether a steam or Motor Ship	Propulsion Power

				Metres
Length	..	..	..	
Breadth	..	..	..	
Moulded depth amidships	..	..	..	

Tonnage

Gross	..	..	Net	..	..

AND AS DESCRIBED IN MORE DETAIL IN THE CERTIFICATE OF THE SURVEYOR AND THE REGISTER BOOK

(a) ——————The undersigned (b)——————son of ——————in consideration of ——————This day lent to ;(c)——————by (d)—————— do hereby for (e)——————and (f) ——————heirs, covenant with the said—————— executors, or administrators, will pay to the said——————the said sum of ——————or (f)——————heirs, executors, or administrators, will during such a time as the same or any part thereof remains unpaid, pay to the said—————— interest on the whole or such part thereof as may for the time being remain unpaid, at the rate of——————percent per annum by equal half yearly payments on the——————day of ——————and——————day of ——————in every year, and for better securing the said——————the payment in manner aforesaid of the said principal sum and interest (g)—————— ——————hereby mortgage to the said ——————shares of which (a)——————the owner —————— in the ship above particularly described and in her boats, and appurtenances. Lastly, (a)——————for (c) and (f)—————— heirs, covenant with the said——————and——————assigns that (a)——————have power to mortgage in manner aforesaid the above mentioned shares, and that the same are free from encumbrances (i)——————

In witness whereof (a)——————have hereto subscribed (f)——————name——————and affixed (f)——————seal this——————day of ——————One thousand nine hundred and——————

Execute by the above named——————in the prexence of (j)——————

(a) "I" or "we" (b) Here full Here insert full name and address of with description of the mortgager or mortgagers.

(c) "me" or "us" (d) Here insert full name and address of mortgagee or mortgagees with their description in case of individuals, and adding, as joint mortgagees where such is the case.

(e) "myself" or "ourselves" (f) "my or our" (g) Insert the day fixed for payment of principal as above.

(h) "I am" or "we are" (i) If any prior encumbrance add, "save as appears by the registry of the said Ship"

(j) Name, address and description of at least two witnesses.
Space for signature and seal.

NOTE : The prompt registration of a Mortgage Deed at the port of Registry of the ship is essential to the security of the Mortgagee, as the Mortgage taken its priority from the date of production for Registry, not from the date of instrument.

NOTE : Registered Owners or Mortgagees are reminded of the importance of keeping the Registrar of Indian ships informed of any change of residence on their port.

Registry Form No. 10

N B.—In case of Transfer it must be made by Endorsement in one of the following forms

TRANSFER OF MORTGAGE by Individual or Joint Owners

(a) "I" or "we"
(b) "me" or "us"
(c) "him", "them" or "it"
(d) "my" or "our".
(e) Name, address & description of at least two witnesses.

(a) ——————the within-mentioned ——————
s/o ——————
in consideration of——————
this day paid to (b)——————by ——————
hereby transfer to (c)——————the benefit of the within-written security, In witness thereof (a)——————have hereinto subscribed (d)——————Name ——————and affixed (d)——————seal——————this —————— day of —————— ——————One thousand nine hundred and ——————
Executed by the above-named——————
——————
In the presence of (e)——————

TRANSFER OF MORTGAGE—by Company or Body Corporate

The within-mentioned——————
in consideration of——————
this day paid to it by——————
hereby transfer to (c)——————The benefit of the within-written security. In witness whereof we have hereunto affixed our common seal this——————day of —————— ——one thousand nine hundred and-——————

The Common Seal* of the——————
——————
was affixed in the presence of——————
——————

N.B.—In case a Mortgage is paid off, a Memorandum of its Discharge is one of the following forms must be used

BY INDIVIDUAL OR JOINT OWNERS

Received the sum of ——————
in discharge of the within-written security. Dated at——————this——————
day of——————19——————at —————— ——————
Witnesses(e) —————— ——of—————— ——————

BY COMPANY OR BODY CORPORATE

Received the sum of——————
in discharge of the within written security. In witness whereof we have hereinto affixed our common seal this——————day of —————— 19——————at——————
The Common seal of the ——————
was affixed in the presence of* ——————
——————

*Signature and description of at least two witnesses, i.e., Director, Secretary etc. (as the case may be)

in witness whereof we have hereunto affixed our common seal this ....
day of............. ....One thousand nine hundred and ....
The Common seal of the ....
was affixed hereunto in the presence of**.............
....
....
....

NOTE . The prompt registration of a Mortgage Deed at the port of Registry of the ship is essential to the security of the Mortgagee as a Mortgage takes its priority from the date of production for Registry, not from the date of the instrument

NOTE : Registered Owners or Mortgagees are reminded of the importance of keeping the Register of Indian Ships informed of any change of residence on their part.

*When dual tonnages are assigned the higher set of tonnage shall apply.

†Name in full of Company together with its principal place of busines

†Full name, address and description of mortgage. If the mortgagee is/are concerned they must be so described. If the mortgagee is a company the full title and address must be given.

††"his" "their" & "its".

@If any prior encumbrances add "Save as appeared by the Registry of the said ship".

Registry Form No. 11

Insert the day fixed for payment of principal.

**Description of witnesses, Directory Secretary & etc. (as the case may be).

N.B.:—In the case of Transfer it must be made by Endorsement in one of the following forms.

TRANSFER OF MORTGAGE BY INDIVIDUAL OR JOINT OWNERS

*"I" or "we" / *"me" or "us" *.....the within mentioned.....
†"my" or "our" son of.....in consideration of.....
@"him" "them" or "it" This day paid to (*).....by.....
.....
hereby transfer to (†).....THE BENEFIT OF THE WITHIN-Written security. In witness whereof (*).....have hereunto subscribed@.....
name.....and affixed@.....seal.....
.....day of.....One thousand nine hundred and.....Executed by the abovenamed.....in the presence of (..) 1.....2.....

TRANSFER OF MORTGAGE BY—Company or body Corporate

NATIONAL EMBLEM
Issued by the
Government of India

MORTGAGE (TO SECURE PRINCIPAL SUM AND INTEREST)
(Company)
(Merchant Shipping Act, 1958, Sections 47, 48 and 53)

Official Number	Name of Ship	No., Date and Port of Registry

Whether a steam or Motor Ship	Propulsion Power

	Metres
Length	
Breadth	
Moulded depth amidships	

	Tonnage
*Gross	
Net	

and as described in more detail in the Certificate of the Surveyor and the Register Book

We.....in consideration of.....this day lent to us by.....do hereby for ourselves and our successors covenant with the said .....and.....assigns do firstly that we or our successors, will pay to the said.....on@.....assigns the said sum of .....together with interest thereon at the rate of.....percent per annum, on the .....day of.....next and secondly that if the said principal sum is not paid on the said day, we or our successors will during such time as the same or any part thereof remains unpaid, to the said.....or.....assigns, interest on the whole or such part thereof as may for the time being remain unpaid, at the rate of.....per cent per annum, by annual half yearly payment on the.....day of.....and .....day of.....in every year, and for better securing the said.....the repayment in manner aforesaid the said principal sum and interest we hereby mortgage to the said.....share/shares, of which we are the Owners in the Ship above particularly described, and in her boats, and appurtenances. Lastly we for ourselves and our successors covenant with the said.....and.....assigns that we have power to mortgage in a manner aforesaid the above mentioned share, and that the same are free from encumbrances.*.....
.....

MORTGAGE (to Secure Account Current etc.) INDIVIDUAL OR JOINT OWNERS

Merchant Shipping Act, 1958 Sections 47, 48 and 53

Official Number	Name of Ship	No., Date and Port of Registry

Whether a Steam or Motor Ship	Propulsion Power

	Metres
Length	
Breadth	
Moulded Depth amidships	

Tonnage

Gross .. .. Net .. ..

AND as described in more detail in the Certificate of the Surveyor and the Register Book

Whereas (a) .....
.....
.....
.....
Now (b).....the undersigned.....in consideration of the premises for (c).....
and (d).....heirs, covenant with the said.....and (e).....assigns, to pay to him or them time the sums for the time being due on this security, whether by way of principal or interest, at the times and manner aforesaid and for the purpose of better securing to the said.....the payment of such sums as last aforesaid, (b).....do hereby mortgage to the said.....shares, of which (f).....am/are the owner.....in the ship above particularly described, and in her boats and appurtenances.

Lastly, (b).....for (c).....and (d).....heirs, covenant with the said.....
and (e).....assigns that (b).....has.....power to mortgage in manner aforesaid the above mentioned shares, and that the same are free from encumbrances (g).....

(b) .....has.....hereto subscribed (d).....name.....——————and affixed (d)..
.....seal.....this .....day of.....One thousand nine hundred and.....
Executed by the above-named. .....
.....
In the presence of .....
.....

(a) Here state by way of recital there is an account current between the Mortgager (giving his address and description and if joint owners are concerned describing them as such) and the Mortgagee (giving his address and description). If the Mortgagee is a Company or a Body, Corporate the full title address must be given and if joint Mortgages are concerned they must be so described), and describe the nature of the transaction so as to show how the amount of principal and interest due at any given time is to be ascertained, and the manner and time of payments.

(b) "I" or "we" (c) "myself" or "ourselves" (d) "my" or "our" (e) "his or "their" (f) "I am" or "we are"

(g) If any prior encumbrances and "save as appears by the Registry of the said Ship".

†Name, address and description of the last two witnesses.

Note:—The prompt registration of a Mortgages deed at the port of Registry of the said Ship is essential to the security of the Mortgagee, as a mortgagee takes its priority from the date of production for registry, 'not from the date of the instrument'.

Note: Registered Owners or Mortgagees are reminded of the importance of keeping the Register of Indian Ships informed of any change of residence on their part.

Registry Form No. 12. Price

INDIVIDUAL OR JOINT OWNERS

Mortgage (to secure Account Current, etc.)

N.B. : In case of Transfer it must be made by Endorsement in one of the following forms.

TRANSFER OF MORTGAGE—by Individual or Joint Owners

(a) "I" or "we"
(b) "me" or "Us"
(c) "him", "them" or "it"
(d) "my" or "our"
(e) Name, address & description of not less than two witness

(a) .....the within mentioned .....
IN CONSIDERATION OF .....
this day paid to (b).....by .....
hereby transfer to (c).....the benefit of the within-written security. In witness whereof (a) be.....have hereunto subscribed (d).....
name.....and affixed (d).....seal.....
this.....day of .....one thousand nine hundred and.....
Executed by the above named .....
.....
in the presence of (e) .....

TRANSFER OF MORTGAGE—by Company of Body Corporate

(f) "him", "them" or "it"

The within mentioned .....
in consideration of.....
this day paid to it by.....
hereby transfer (e).....the benefit security of the within written security,
In witness whereof we have hereunto affixed our common seal this.....
day of.....One thousand nine hundred and.....
The Common seal of the.....
.....
was affixed in the presence of*
.....
.....
.....

N.B.—In case a Mortgagee is paid, a Memorandum of its Discharge in one of the following forms must be used.

BY INDIVIDUALS OR JOINT OWNERS

Received the sum of.....
in discharge of the within written security. Dated at.....this.....
day of..... .. .. 19.....
witness(s) .....
of .....

BY COMPANY OR BODY CORPORATE

Received the sum of..... .....in discharge of the within-written security. In witness of we have hereunto affixed our common seal this.....day of .....19 at .....
The common seal of the.....
.....
was affixed in the presence of*.....
.....
.....
*Signature and description of at least two witnesses
i.e. Director, Secretary etc. (as the case may be)

National Emblem
Issued by the
Govt. of India

MORTGAGE (To secure Account Current, & c.) (Company)

(Merchant Shipping Act, 1958—Sections 47, 48 and 53.)

Official Number	Name of Ship	No., Date and Port of Registry	Whether a steam or Motor Ship	Propulsion Power

	Metres		
Length ..	..		Gross
Breadth ..	..	TONNAGE	
Moulded depth amidships ..	..		Net

and as described in more detail in the Certificate of the Surveyor and the Register Book.

Whereas (a) ——————————————————————

Now we the (b) ——————————————In consideration of the premises for ourselves and our successors, covenant with the said ——————————and (c) ....assigns, to pay him, them or if the sum for the time being due on this security, whether by way of principal or interest, at the times and manner aforesaid. And for the purpose of better securing to the said——————————————THE PAYMENT OF SUCH SUMS AS LAST Aforesaid, we do hereby mortgage to the said——————————shares, of which we are the owners in the Ship above particularly described, and in her boats and appurtenances.

Lastly, we for ourselves and our successors, covenant with the said 6—————————————— and (c)——————————assigns that we have power to mortgage in manner aforesaid the above-mentioned shares and that the same are free from incumbrances (d)——————————————

In witness whereof we have hereunto affixed our common seal this——————day of——————————One thousand nine hundred and——————————

The Common seal of the ——————————
was affixed hereunto in the presence of†——————————

(a) Here state by way of recital that there is an account current between the Mortgagor (describing the Company and giving its address), and the Mortgagee (giving address and description) and describe the nature of the transaction so as to show how the amount of principal and interest due to any given time is to be ascertained, and the manner and time of payment, (b) Name of the Company, (c) "his", "their" or "its". (d) If any prior incumbrance add, "save as appears by the Registry of the said ship."

†Signature and description of at least two witnesses, i.e., Directors, Secretary, etc. (as the case may be).

NOTE :— The prompt registration of a Mortgage Deed at the Port of Registry of the Ship is essential to the security of the Mortgagee, as a Mortgage takes its priority from the date of proudction for registry, not from the date of the instrument.

NOTE:—Registered Owners of Mortgagees are reminded of the importance of keeping the Registrar of Indian Ships informed of any change of residence on their part.

Registry Form No. 13 Priced

714 GI/94—9

Mortgage (to secure Account Current, etc.)

(Company)

N.B.—In case of Transfer it must be made by Endorsement in one of the following forms.

TRANSFER OF MORTGAGE —by Individuals or Joint Owners.

(a) "I" or "we".
(b) "me" or "us".
(c) "him" "them" or "it".
(d) "my" or "our".
(e) Name, address & description of not less than two witnesses.

(a) ———————the within-mentioned ———————————
In consideration of———————————————
this day paid to (b)——————by ——————————
————————————————————
hereby transfer to (c)——————the benefit of the within-written security. In witness whereof (a)————have hereunto subscribed (d)————name————and affixed (d)———— seal.........this.........day of...............one thousand nine hundred and————
Executed by the above-named——————————
——————————————
In the presence of (e)

TRANSFER OF MORTGAGE—by Company or Body Corporate.

The within-mentioned ————————————————
in consideration of ————————————————
this day paid to it by ——————————————
————————————————————
hereby transfer to (c)——————————the benefit of the within-written security. In witness whereof we have hereunto affixed our common seal this————day of——————One thousand nine hundred and——————————————

The Common Seal of the——————————
——————————————
was affixed in the presence of*
——————————————
——————————————
——————————————
——————————————

N.B.—In case a Mortgage is paid off, a Memorandum of its Discharge in one of the forms must be used.

BY INDIVIDUALS OR JOINT OWNERS

Received the sum of ————————————————
in discharge of the within-written security, Dated at————————————
this——————day of ——————————19——————
Witness (e) ————————————————
OF ——————————————————

BY COMPANY OR BODY CORPORATE

Received the sum of————————————————
in discharge of the within-written security. In witness whereof we have hereunto affixed our common seal this——————day of——————————19————at————
The Common Seal of the——————————
——————————————
was affixed in the presence of*
——————————————
——————————————
——————————————

*Signature and description of at least two witnesses, i.e., Director, Secretary, etc. (as the case may be)

PROVISIONAL CERTIFICATE OF INDIAN REGISTRY

[Merchant Shipping Act, 1958-Section 40(1]

Expiring on or before the day of 19 (see footnote)

Emblem
Issued by the Government of India.

Name of Ship (a)	Where and when Built	Steam or Motor Ship; how propelled

Number of Decks	Material
Stern	Description
Steem	Number of bulkheads

MEASUREMENTS

Metres		Tonnages
Length	Gross	
Bredth	Net	
Moulded depth amidships		

Number of engines ——————————

Propulsion Power ——————————

Name and address of engine maker ——————————

Note as per Certificate of Survey

I, the undersigned——————Indian Consul at the Port of——————hereby certify—

1. That the Ship, the description of which is prefixed to this my Provisional Certificate, has been duly surveyed and that the above description is true (b)

2. That——————of——————is Master of the said Ship.

3. That the person or persons whose names are hereunder written purchased at—————— on the——————day of ——————19——————all the shares in the above Ship.

OR*

4. That the Ship was built at——————on account of the person or persons whose names are hereunder written.

Name, Residence and Occupation of the Owner.	Name of Tenth Shares.

Dated at——————the——————day of——————One thousand nine hundred and ——————Indian Consul.

Note.—This Provisional Certificate of Registry, issued under the provisions of Section 40(1) of the Merchant Shipping Act, 1958, continues in force only until the——————day of——————19——————, or until the Ship completes her voyage from——————to some port where there is a Registrar of Indian Ships, whichever happens first.

(a) The name of the Ship to be inserted should be the existing foreign name, unless a change of name has been authorised by the Director General of Shipping. (b) If this Ship has not been surveyed for the purpose, the Consul must insert the description as fully and accurately as he can, stating how he has procured it. Strike out inapplicable words. Here insert the date six months from the date of issue of this certificate

Registry Form No. 14

APPLICATION FOR APPROVAL OF NAME, ALLOTMENT OF SIGNAL LETTERS AND OFFICIAL NUMBER

(Merchant Shipping Act, 1958, section 55)

EMBLEMS
Issue by
the Government of
India.

Note.—This form is not to be used for an application to change the name of a ship already on the Register.

1. Name Proposed (block letters). Alternative name(s) in order of preference should be given in case the first name cannot be authorised (Give atleast three names).

2. IF A NEW SHIP, State,—
   (a) Name and Address of Builder
   (b) Yard No

3. IF SHIP HAS BEEN PURCHASED, State,—
   (a) Previous Foreign name(s), if any
   (b) Port at which ship is now lying.

4. TONNAGE of Ship (approx.) and method of propulsion—steam or motor.

5. PROPOSED TRADE OF SHIP

6. PROPOSED DATE and PORT OF REGISTRY

7. NAME and ADDRESS OF OWNER

I certify that the ship is fitted with Radio Telegraphy/Telephony equipment.

Applicant's signature.

The Registrar of Indian Ships,

Address

199—

Forwarded for certification of name, allotment of signal letters and official number
Registrar of Indian Ships.

The Director General of Shipping, Bombay————199————

CERTIFICATE OF DIRECTOR GENERAL OF SHIPPING

I certify that the name————is already not the name of a registered Indian Ship, or so similar to a registered name as to be calculated to deceive. Following signal letters and official number is allotted.

Signal letter Official Number.

————Director General of Shipping

The Registrar of Indian Ships,

————199————

This certificate when permissive is to be retained by the Registrar at the port of registry.

If the ship is not registered within twelve months of the date of this certificate, the authority will be considered to have lapsed, but the authority may be renewed if sufficient cause shown.

FROM REGISTRY NO. 15

CERTIFIED EXTRACT OF PARTICULARS SUPPLIED BY BUILDERS, OWNERS OR ENGINE MAKERS

Particulars of propelling Engines & Etc. As supplied by Builders, Owners or Engine Makers.

No. of sets of Engines	Description of Engines	Whether Indian or foreign made	When made	Name and address of makers	Reciprocating Engine Rotary			
					No. and diameter of Cylinders in each set	Length of stroke	No. of cylinder in each set	Estimated speed of ship

No. of shafts	Particulars of boilers
	Description.....
	Number .....
	Loaded Pressure ...

——————19 Surveyor

Registry Form No. 16

CERTIFICATE OF SURVEY

(Merchant Shipping Act, 1958—Section 27)

NATIONAL EMBLEM
Issued by the
Government of India.

Name of Ship	Port of Intended Registry	Name and Official Number, if there has been any former Registry

Whether Indian or Foreign Built	Whether a Steam or Motor Ship, how propelled	Where Built	When Built	Name and address of Builders

Number of decks	"Length"	Metres
Stem		
Steem		
Material description	"Breadth"	
Number of Bulkheads		
	Moulded depth Amidships	

PARTICULARS OF TONNAGE

The Tonnages of this ship in accordance with her International Tonnage Certificate (1969)/India Tonnage Certificate (1987)* are.—

GROSS TONNAGE ——————

NET TONNAGE ——————

A detailled summary of the tonnage for the ship are shown in the Annex to International Tonnage Certificate (1969)/India Tonnage Certificate (1987)*

The number of seamen and apprentices for whom accommodation is certified.

*Delete as appropriate.

I, the undersigned Surveyor appointed under section 0 of the Merchant Shipping Act, 1958 having surveyed the above named ship hereby certify that the above particulars are true, and that her name is marked on each of her bows and her name and the Port of Registry are properly marked on a conspicuous part of her stem and a scale of metres denoting her draught are marked on each side of her stem and of her stern post as prescribed.

Dated at———

this————day of————19

————
Surveyor

(Signal letters (if any)

TRANSCRIPT OF REGISTER FOR TRANSMISSION TO DIRECTOR GENERAL OF SHIPPING, BOMBAY

(Merchant Shipping Act, 1958—Section 74(2)(h)

Official Number	Name of Ship	Number, Year and Port of Registry

No, Year and Port of Previous Registry (if any) and Name :

Whether Indian or foreign Built	Whether a steam or Motor Ship; how propelled 66	Where built	Where Built	Name & address of Builders

		Metres
Number of decks		
Stern	Length	
Stem	Breadth	
Material description	Moulded depth amid ships	
Number of Bulkheads		

PARTICULARS OF TONNAGE

AS PER CERTIFICATE OF SURVEYOR

NAME OF MASTER | Certificate of Competency No.
Service No.

Names, Residence and Description of the owners and Number of Tenth Shares held by each owner VIZ :

CERTIFIED EXTRACT OF PARTICULARS SUPPLIED BY BUILDERS, OWNERS OF ENGINE MAKERS

Particulars of Propelling Engines, & etc. As supplied by Builders, owners or Engine Makers.

No. of sets of Engines	Description of Engine	Whether Indian or foreign made	When made	Name and address of makers	Recirprocating Engines		Rotary Engines No. of Cylinders in each	Propulsion Power Estimated Speed of Ship
					No. and Diameter of cylinders in each set	Length of stroke		

No. of shafts | Particulars of Boiler
Description
Number
Loaded Pressure

Number of water ballast tanks and their capacity in tons :

——————19

REGISTRAR OF INDIAN SHIP
BOMBAY

66

Registry Form No. 17

COPY OF TRANSACTIONS SUBSEQUENT TO REGISTRY
(Merchant Shipping Act, 1958-Section 74(2)(h))

EMBLEM
ISSUED BY THE
GOVERNMENT OF INDIA

Steam or motor	Tonnage	
	Net	Gross

Official Number of Ship | Port of—————— | No. and Date of Registry
Name of Ship ——————

1	2	3	4	5	6	7
No. of Transaction	Letter denoting Mortgage	Name of person from whom title is dervied	No. of Shares affected	Date and hour of Registry	Nature of Date of Transaction	Name, Residence and Occupation of Transferee, Mortgagee, or other person acquiring Title

SUMMARY

Col. 8	Col. 9	Col. 10	Col. 11	Col. 12	Col. 13	Col. 14
No. and Account of subsequent Transactions, showing how Interst disposed of	No. of Transactions under which Title acquired.	Name of Owners	Mortgages	Names of mortgagees	No. of Shares	Remarks

————————Registrar.

N.B.—To be sent in an envelope addressed to the Director General of Shipping, Bombay.

REGISTRY FORM NO. 18.

INTERNATIONAL CODE OF SIGNALS

No.

Office of the Director General of Shipping
Ministry of Transport and Communications
Government of India.
The,—————————19

EMBLEM
Issued by the Government of India.

Sir,

I am directed to inform you that the following International Code Signals have been appropriated to the undermentioned Indian registered ships.

(Note.—The particulars in the various columns should, as far as possible agree with the entries in the Register Book.)

Date of Appropriation	Signal letters appropriated	Name of ship	Port No. and date of Registry	Net Registered Tonnage	Nominal Horse Power	Official No.	Name and Address of Registered owner, or Agents
1	2	3	4	5	6	7	8

To

The Adviser,
Wireless Planning and Co-ordination,
Ministry of Transport & Communications,
New Delhi.

Yours Faithfully,

Director General of Shipping, Bombay

REGISTRY FORM NO. 19

SHIP'S CARVING AND MARKING NOTE

EMBLEM

ISSUED BY THE

GOVERNMENT OF INDIA

Name of Ship	Port of Registry	Official Number	Registered net Tonnage

The Official Number and Tonnage, as stated above, are to be cut in on a brass plate 30 cm. × 6 cm. and affixed in a conspicuous place on the navigation bridge on the Vessel.

REGISTRAR OF INDIAN SHIPS

Dated.....

Port of..... .....

I hereby certify that I have inspected the above-named Vessel, and found that the Official Number and Tonnage, as stated above, are cut in on a brass plate 30 cm. × 6 cm. and affixed in a conspicious place on the navigation bridge, that here Name is marked on each of her Bows, and her Name, and the name of her Port of Registry, are marked on her Stern, as required by Section 28 of the Merchant Shipping Act, 1958.

Dated .....

at ....

.....

(Surveyor)

REGISTRY FORM NO. 20

ANNUAL RETURN OF SHIPS

NATIONAL EMBLEM

ISSUED BY THE

GOVERNMENT OF INDIA

PORT OF .....

List of ships added to or removed from the Register at the post of..... ... .during the year..... showing alterations in tonnage, etc.

Year and Port No.	Official No.	Names of the ships. Arranged throughout according to year and Port number distinguishing. 1. Ships whose Registers have been closed during the year the cause and date of closing Register being inserted in red ink. 2. Ships added to the Register during the year:— (a) Ships registered for the first time, stating place where built. (b) Ships purchased from Foreigners. (c) Ships transferred from others ports, stating port and year of former Registry. (d) Ships registered a new, stating cause.	year when built to be stated in each case)	Tonnage of Ships remaining on the Register			
				Steam Ships		Motor Ships	
				Gross	Net	Gross	Net.
1	2	3	4	5	6	7	8

Tonnage of ships whose Registers have been closed				Alteration of Tonnage				Inclusive of Masters
Steam Ships		Motor Ships		Increase		Decrease		
Gross	Net	Gross	Net	Gross	Net	Gross	Net	
9	10	11	12	13	14	15	16	

Abstract for the year ended 31st December, 19

	Steam Ships			Motor Ships		
	Ships	Gross Tonnage	Net Tonnage	Ships	Gross Tonnage	Net Tonnage
Remaining on the Register at the end of last year						
Added :						
Ships registered for the first time (exclusive of Ships purchased from Foreigners) -						
(a) New Ships, built at Ports in India........						
(b) Other Ships........ ..						
Ships purchased from Foreigners or built abroad.						
Ships transferred from ports in India						
Ships registered anew.						
Others Ships..						
*Tonnage added in consequence of re-measurements or alterations (without re-registry)						
Total Added						
Gross Total						
Deducted :						
Ships wrecked or otherwise lost.						
Ships broken up, decayed, or became permanently, unfit for use afloat						
Ships sold to Foreigners						
Ships transferred to ports in India.........						
Ships registered anew						
Other Ships						
*Tonnage deducted in consequence of re-measurements or alterations (without re-registry)						
Total Deducted						
$Balance remaining on the Register on the 31st December 19.						

*Alterations in the Tonnage of Ships when registered anew, or when transferred from other Ports are NOT to be included.

$ These totals should agree with the corresponding total given on the preceding page.

To

THE DIRECTOR GENERAL OF SHIPPING,
BOMBAY

. Registrar of Indian Ships

______ 19

REGISTRY FORM 21

Name of Ship———— Form 22(A)

Whether Steam or Mortor Ship; how propelled	Where Built	When Built	Name and Address of Builders

Number of Decks

Number of Mast

Rigged

Stem

Stern

Build

Framework and description

Number of Bulkheads

Length from forepart of steam to the aft side of the head of the Stern Post.

Main breadth to outside of plating.

Depth in hold from tonnage deck on ceiling amidships.

Depth in hold from upper deck to ceiling amidships in the case of three decks and upwards.

Depth from top deck at side amidships to bottom to keel.

Round of beam.

Length of engine room.

Particulars of Propelling Engines & C.

No. of sets of Engines	Description of Engines	Whether Indian or Foreign Made	When made	Name & Address of makers	Reciprocating Engines		Rotary Engine	N.H.P. B.H.P. I.H.P Estimated speed of ship
					No. and diameter cylinders in each set	Length of stock	No. of Cylinders in each set	
		Engines	Engines	Engines				
No. of shafts	Particulars of Builders Description ——— Number ——— Iron or Steel loaded Pressure ———	Boilers	Boilers	Boilers				

Number of water ballast tank and their capacity in tons :

Note 1.—The tonnage of the Engine room spaces below the upper deck is.....

C.M. and the tonnage of the total spaces framed in above the upper, deck for propelling machinery and for light and air is.....C.M.

Note 2.—The undermentioned spaces above the upper deck are not included in the cubical contents framing the ship's register tonnage.

Registrar of Indian Ships

Note 3.—The location and tonnage of the boatswains store room are as follows :

SUMMARY

Col. 10	Col. 11	Col. 12	Col. 13	Col. 14
Name of Owners	Mortgages	Name of Mortgages	Number of Shares held	Remarks

OFFICIAL NUMBER OF SHIP——— SIGNAL LETTERS

No. of years and Port of Registry	No., Year and Port of Previous Registry (if any) and name	Whether Indian or foreign built

PARTICULARS OF TONNAGE

Gross Tonnage	Tonnage mark not submerged		Tonnage mark submerged		Deductions Allowed	No. of Tons
	Tons	Cubic metres	Tons	Cubic Metres	On account of spaces required for propelling power	
1. Under tonnage deck					On account of spaces provided by way of crew accommodation as follows :	
2. Space or spaces between decks						
3. Turret or Trunk						
4. Forecastle						
5. Bridge Space					(No. of seamen or apprentices for whom accommodation is certified)	
6. Poop						
7. Break						
8. Side Houses					Other deductions as follows :	
9. Deck Houses						
10. Chart Houses						
11. Spaces for machinery and light and air						
12. Excess of Hatchways						

Gross Tonnage ———
Deductions, as per contra ——— Total Deductions
Register Tonnage

The Tonnage of the Engine Spaces below upper Deck.
The Tonnage of the Total Spaces Framed in above. The upper Deck for Propelling Machinery and light and air.

Note 1.—The undermentioned spaces above the tonnage deck are not included in the cubical contents forming the ships register Tonnage.

Note 2.—The location and capacity of the Boatswains store rooms are as follows :

Names, Residence and description of the owners, and Number of tenth Shares held by each Owner.

Tonnage of Engine room below second Deck.
The Tonnage of the Total spaces framed in above. The second deck for Machy and light and air.

Note 1.—The undermentioned spaces above the Tonnage Deck are not included in the cubical contents forming the Ship Register Tonnage.

Note 2.—The location and the capacity of the Boatswains store rooms are as follows :

DATE

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9

First Registry- Continued

Form 22 (B)

Summary				
Col. 10	Col. 11	Col. 12	Col. 13	Col. 14
Name of Owners	Mortgagors	Name of Mortgagee	Number of shares held	Remarks

Transactions Subsequent To

Official No.		Name of Ship		No year and Port of Registery		Steam or motor	Tonnage Register	Gross
Col. 1	Col. 2.	Col. 3.	Col. 4	Col. 5.	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9
No. of Transaction	Letter denoting mortgages	Name of person from whom title is derived	No. of shares affected	Date and hour of Registry	Nature and date of Transaction	Name Residence, and Occupation of transferee, mortagee or other person acquiring title	No. and Account of subsequent Transaction showing how interest disposed of	No. of transaction under title acquired

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1994

सा.का.नि 161—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय वास्तुविद सेवा, समूह 'क' नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय वास्तुविद सेवा समूह (क) संशोधन नियम, 1984 है।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय वास्तुविद सेवा समूह 'क' नियम, 1989 में,

(क) नियम 7 में, उपनियम (8) का लोप किया जाएगा.

(ख) अनुसूची 2 में अपर महानिदेशक (वास्तुकला) और इससे संबंधित प्रविष्टियों से संबंधित क्रम सं. 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

क्रम सं.	पद का नाम	भर्ती की पद्धति	चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा/स्थानान्तरण भी है) के लिए चयन का क्षेत्र
1	2	3	4	5
"1.	अपर महानिदेशक (वास्तुकला)	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) द्वारा।	5900–6700 रु. के वेतनमान में ऐसा मुख्य वास्तुविद, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संगठनों का ऐसा अधिकारी— (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है, या (2) जिसने 5900–6700/7300 रुपए या समतुल्य श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो। (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री या समतुल्य; (2) वास्तुविक अधिनियम, 1972 के अधीन वास्तुविद के रूप में रजिस्ट्रीकृत है। (3) इस वृत्ति में 20 वर्ष का अनुभव। फीडर प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त किए गए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ग) अनुसूची 5क का लोप किया जाएगा।

(घ) अनुसूची 6 में, अपर महानिदेशक (वास्तुकला) और इससे संबंधित प्रविष्टियों से संबंधित क्रम सं. 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

क्रम सं.	पद का नाम	प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति
1.	अपर महानिदेशक वास्तुकला	1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय—सदस्य 3 महानिदेशक (निर्माण) के.लो.नि.वि.—सदस्य	लागू नहीं होता

[फा.सं. 26011/1/86—ई डब्ल्यू 1]

वी.वी. रामनायन, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य नियमावली भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3(i) के सा.से.नि. 798 दिनांक 25-10-89 द्वारा एवं तत्पश्चात संशोधित सं.से.नि. 458 दिनांक 24-7-91 और सा.से.नि. 241 दिनांक 27-4-93 द्वारा प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 9th February, 1994

G.S.R. 161.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Architects Service Group 'A' Rules, 1989, namely :

1. (1) These rules may be called the Central Architects Service Group 'A' (Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Architects Service Group 'A' Rules, 1989,—

(a) in rule 7, sub-rule (8) shall be omitted;

(b) in Schedule II, for serial No. 1 relating to the post of Additional Director General (Architecture) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Sl. No.	Name of the post.	Method of recruitment.	Field of selection and minimum qualifiying service for promotion.	Field of selection for transfer on deputation (including short-term contract/transfer).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1.	Additional Director General (Architecture)	Promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract)	Chief Architect in the scale of Rs. 5900-6700 with 3 years regular service in the grade.	Officers of the Central Government/State Governments/Public Sector undertakings/Autonomous Bodies/Universities and Research Organisations:— (a) (i) holding analogous posts regular basis; or (ii) with 3 years regular service in the grade of Rs. 5900-6700/7300 or eqivalent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (i) Degree in Architecture from a recognised University or equivalent; (ii) should be registered as an Architect under the; Architects Act, 1972 (iii) 20 years experience in the profession. The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotin (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 5 years.) (c) Schedule V.A. shall be omitted. (d) In schedule VI, for Serial No. 1 relating to the post of Additional Director General (Architecture) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :

Sl. No.	Name of the post	Group 'A' Departmental Promotion committee for considerng Promotion	Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation
"1.	Additional Director General (Architecture)	1. Chairman/Member, UPSC—Chairman 2. Secretary, Ministry of Urban Development—Member. 3. Director General (Works) C.P.W.D. —Member.	Not applicable."

[F.No. 26011/1/86-EW-1]
V.V. RAMNATHAN, Under Secy.

Foot Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i) vide GSR 798 dated 25-10-89 and subsequently amended vide GSR 458 dated 24-7-91 and GSR 241 dated 27-4-93.

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1994

सा.का.नि. 162.—नियम सोयाबीन श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम का एक प्रारूप, जिसे कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) नियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. 45011/4/92-एम-1 तारीख 3 अगस्त, 1992 में सा.का.नि. 417 के रूप में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 19 सितम्बर, 1992 के पृष्ठ 1595–1599 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र, की प्रतियां 7 अक्तूबर, 1992 को जनता को उपलब्ध करा दी गई;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप नियम के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सोयाबीन श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1993 है।

(2) ये भारत में उत्पादित सोयाबीन को [ग्लाइसीन मैक्स (एल) और ग्लाइसीन सोजा] लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत पैकर" से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इस नियम में विहित श्रेणी मानक और प्रक्रिया के अनुसार सोयाबीन के श्रेणीकरण और चिन्हांकन के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र दिया गया है;

(ग) "प्राधिकार प्रमाणपत्र" से साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जिसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को श्रेणी अभिधान चिन्ह से सोयाबीन का श्रेणीकरण और चिन्हांकन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ;

(घ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

3. श्रेणी अभिधान—सोयाबीन की क्वालिटी उपवर्णित करने के लिए श्रेणी अभिधान अनुसूची 1 के स्तंभ 1 में यथा उपवर्णित है।

4. क्वालिटी की परिभाषा—श्रेणी अभिधान द्वारा उपवर्णित क्वालिटी, अनुसूची 1 के स्तंभ (2) से (10) में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने यथा उपवर्णित है।

5. श्रेणी अभिधान चिन्ह—श्रेणी अभिधान चिह्न में एक लेबल होगा जिसमें वस्तु का नाम, श्रेणी का अभिधान और भारत का नक्शा बना होगा जिसमें "एगमार्क" "AGMARK" शब्द लिखा होगा और उगते सूर्य की आकृति बनी होगी और उसके साथ "भारतीय उत्पाद" और "Produce of India" लिखा होगा जो अनुसूची 2 में यथाउपवर्णित होगा ।

6. पैक करने की पद्धति—(1) केवल जूट, कपड़े या खाद्य श्रेणी प्लास्टिक के बने मजबूत, स्वच्छ और शुष्क थैलों का पैकिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा;

(2) थैली, कीट ग्रसन, दवक संदूषण और किसी अवांछनीय गंध से मुक्त होंगे;

(3) प्रत्येक थैला सुरक्षित रूप में बंद किया जाएगा और सील किया जाएगा/टाका जाएगा;

(4) प्रत्येक थैले में सोयाबीन के एक व्यापार वर्णन और एक श्रेणी अभिधान का उल्लेख किया जाएगा ।

7. चिह्नांकन की पद्धति—(1) श्रेणी अभिधान चिह्न, कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति में प्रत्येक पैकेज पर सुरक्षित रूप से लगाया जाएगा;

(2) श्रेणी अभिधान के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्टियां भी लेबल या आधान पर स्पष्ट रूप से चिह्नांकित की जाएंगी—

(क) किस्म या व्यापार वर्णन

(ख) फसल वर्ष

(ग) पैक करने का स्थान

(घ) पैक करने की तारीख

(ङ) लॉट संख्या

(च) शुद्ध भार

(छ) पैकर का नाम और पता

(3) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पूर्व अनुमोदित के पश्चात उक्त अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति में आधान पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न लगा सकेगा परन्तु यह प्राइवेट व्यापार चिह्न इन नियमों के अनुसार आधान पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपवर्णित सोयाबीन की क्वालिटी या श्रेणी से भिन्न किसी क्वालिटी या श्रेणी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है ।

अनुसूची 1

(नियम 3 और 4 देखिए)

सोयाबीन का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	विशेष अपेक्षाएं					
	भार के अनुसार शुष्क तेल अंतर्वस्तु की प्रतिशतता (न्यूनतम)	तेल का अम्ल मूल्य (अधिकतम)	भार के आधार पर आर्द्रता अंतर्वस्तु का प्रतिशत (अधिकतम)	भार के आधार पर क्षतिग्रस्त विरंजित कीट ग्रसित सोयाबीन की प्रतिशतता (अधिकतम)	भार के आधार पर कच्चे बिना छिलके के सोयाधीन का प्रतिशत (अधिकतम)	भार के आधार पर दो टुकड़ों में टूटे हुए, कटे हुए सोयाबीन का प्रतिशत (अधिकतम)
1	2	3	4	5	6	7
श्रेणी-I	20	3	10	1	2	5
श्रेणी-II	18	4	12	2	3	10
श्रेणी-III	15	6	12	3	5	20

भार के आधार पर विजातीय पदार्थ का प्रतिशत (अधिकतम)	भार के आधार पर विजातीय जैव पदार्थ का प्रतिशत (अधिकतम)	सामान्य लक्षण
8	9	10
0.5	0.5	सोयाबीन—
0.5	0.5	(क) ग्लाइसीन मैक्स (एल) मेरिल; पौधे के पके हुए, सूखे हुए, साफ और स्वास्थ्यप्रद
0.5	1.5	बीज होंगे;
		(ख) किस्म के लक्षण के समरूप साइज, आकार और रंग के होंगे;
		(ग) सड़न, फफूंदियाहा गंध या मिलाए गए रंजन पदार्थ से मुक्त होंगे;
		(घ) किसी विषैले, विषाक्त, हानिप्रद या अखाद्य बीजों जैसे, नीम आर्जेमोनि, खेसारी, रेड़ी, महुआ आदि के मिश्रण से पूरी तरह मुक्त होंगे;
		(ङ) पी.एफ.ए. नियम के अधीन अनुज्ञेय के सिवाए अवशिष्ट नाशकजीवमार/कीटनाशी से मुक्त होंगे और इसमें 100 मि.ग्रा./कि.ग्रा. से अधिक यूरिक एसिड और प्रति किलोग्राम 30 माइक्रोग्राम से अधिक एफ्लाटोक्सीन सहित माइकोटोक्सीन नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण : —

(1) क्षतिग्रस्त और रंगहीन : में ऐसे सोयाबीन और सोयाबीन के टुकड़े सम्मिलित हैं जो जले हुए, गले हुए, रोग-मुक्त या गर्मी, आर्द्रता या माइक्रोबियल कार्रवाई के कारण सारवान रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

(2) कीट ग्रसित : में ऐसे सोयाबीन या सोयाबीन के टुकड़े सम्मिलित हैं जो कीड़ों द्वारा भागतः या सम्पूर्ण छिद्रित हैं या खाए गए हैं।

(3) कच्चे और बिना छिलके : के सोयाबीन में ऐसे सोयाबीन सम्मिलित हैं जो पूरी तरह से पके या समुचित रूप से विकसित और आकार के अनुसार नहीं हैं।

(4) दो टुकड़ों में, टूटे हुए या कटे हुए सोयाबीन में यांत्रिक रूप से क्षतिग्रस्त सोयाबीन या सोयाबीन के टुकड़े सम्मिलित हैं जिनके उपर के छिलके टूटे हुए हैं।

(5) अजैव विजातीय पदार्थ : में बालू धूल, गंदगी, पत्थर मिट्टी के पिण्ड सम्मिलित हैं।

(6) जैव विजातीय पदार्थ में छिलका, डंडियां या घास भूसी और अन्य खाद्य बीज सम्मिलित हैं।

अनुसूची- I
(नियम-5 देखिए)
श्रेणी अभिधान चिन्ह
(एगमार्क लेबल का डिजाइन)

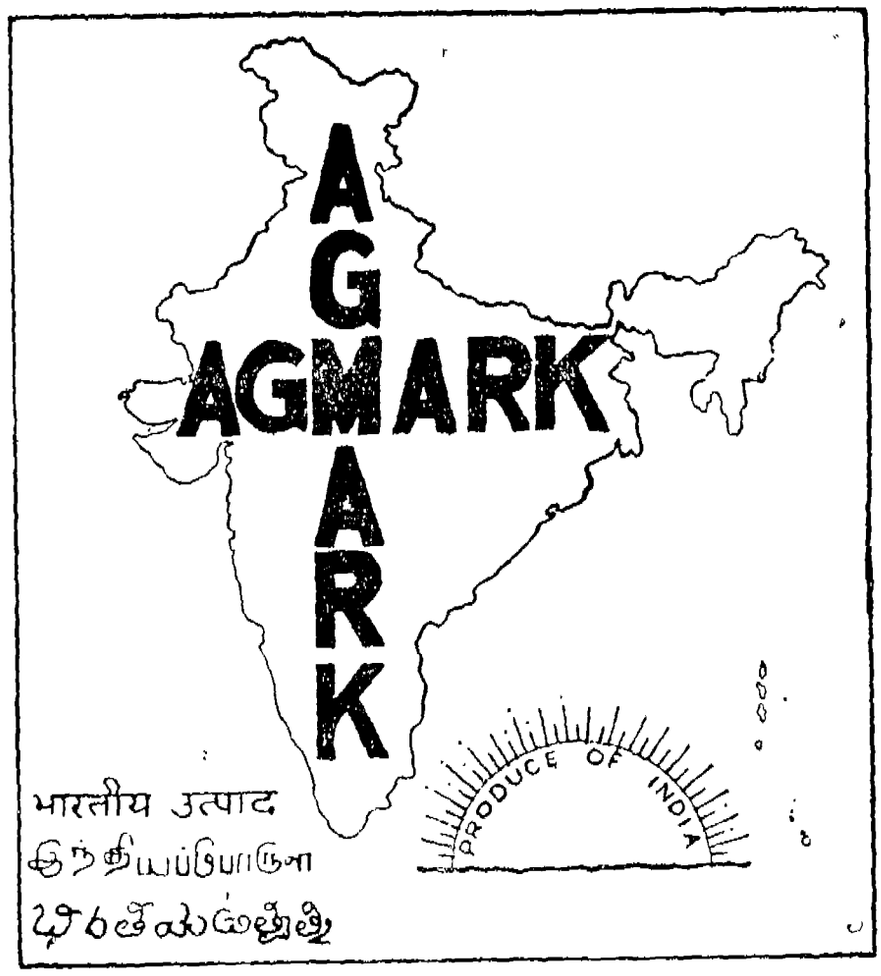

[सं. 45011/4/92-एम-I]

पी. ज्योति राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 28th February, 1994

G.S.R. 162.— Whereas draft of the Soyabeans Grading and Marking Rules was published as required by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) in the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development No 45011/4/92-M I., dated the 3rd August, 1992 as GSR 417 on pages 1595-1599 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 19th September, 1992 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before expiry of the period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public,

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 7th October, 1992;

And whereas the objections and suggestions received in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. Short title, application and commencement.—(1) These rules may be called the Soyabeans Grading and Marking Rules, 1993.

(2) They shall apply to Soyabeans (Glycine Max (L) Merrill) produced in India.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires :—

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(b) "Authorised Packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorisation to grade and mark Soyabeans in accordance with the grade standards and procedure specified in these rules;

(c) "Certificate of Authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark Soyabeans with the grade designation marks;

(d) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

3. Grade designations.—The grade designations to indicate the quality of soyabeans are as set out in column 1 of Schedule-I

4. Definition of Quality.—The quality indicated by the grade designations is as set out against each grade designation in column (2) to (10) of Schedule-I.

5. Grade Designation Mark.—The grade designation mark shall consist of a label specifying name of the commodity, grade designation and bearing a design consisting of an outline map of India with the word "AGMARK" and figure of the rising sun with the words "Produce of India" and "भारतीय उत्पादन" resembling the one as set out in Schedule-II

6. Method of Packing.—(1) Only sound, clean and dry bags made of Jute, cloth or food grade plastic shall be used for packing;

(2) The bags shall be free from insect infestation, fungus contamination, toxic contaminants and any undesirable smell;

(3) Each bag shall be securely closed and sealed/ stitched;

(4) Each bag shall contain soyabeans on one trade description and one grade designation only.

7. Method of Marking.—(1) The grade designation mark shall be securely affixed to each bag in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser;

(2) In addition to grade designation, following particulars shall also be clearly marked on the label or container.—

(a) Variety or trade description,
(b) Crop Year,
(c) Place of packing,
(d) Date of packing,
(e) Lot number,
(f) Net weight,
(g) Name and address of the packer.

(3) The authorised packer may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or any other officer authorised by him in this behalf, mark his private trade marks on the container provided that the private trade marks do not represent a quality or grade of Soyabeans different from that indicated by the grade designation mark affixed to the container in accordance with these rules.

SCHEDULE-I

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of Soyabean

Grade designation	Special requirements							
	Oil content on dry basis per cent by weight	Acid value of oil	Moisture content per cent by weight	Damaged, discoloured, Insect infested beans per cent by weight	Immature shrivelled beans per cent by weight	Splits, brokens, cracked beans per cent by weight	Inorganic foreign matter per cent by weight	Organic foreign matter per cent by weight
	Minimum	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grade-I	20	3	10	1	2	5	0.5	0.5
Grade-II	18	4	12	2	3	10	0.5	0.5
Grade-III	15	6	12	3	5	20	0.5	1.5
General Characteristics								
10								

Soyabeans shall.—

(a) be the mature, dried, clean and wholesome seeds of the plant Glycine Max (L) Merrill;

(b) be of uniform size, shape and colour characteristic of the variety;

(c) be free from mould, musty odour or added colouring matter;

(d) be completely free from admixture of any poisonous, toxic, harmful or non-edible seeds like neem, argemone, khesari, castor, mahua etc;

(e) be free from pesticides/insecticide residue, except to the extent permissible under the PFA Rules, and shall not contain Uric acid exceeding 100 mg/kg and mycotoxin including aflatoxin exceeding 30 micrograms per kilogram.

Explanations :

1. Damaged and discoloured : include beans or pieces of beans which are sprouted, mouldy, diseased or materially damaged due to heat, moisture or microbial action.
2. Insect infested : include beans or pieces of beans that are partially or wholly bored or eaten by insects.
3. Immature and Shrivelled : include beans which are not fully mature or properly developed and shrunk out of shape.
4. Splits, brokens and cracked beans : include mechanically damaged beans or pieces of beans with broken seedcoat.
5. Inorganic foreign matter : includes sand, dust, dirt, stones, lumps of earth.
6. Organic foreign matter : includes chaff, stem, straw, husk and other edible seeds.

SCHEDULE-II
(See Rule 5)
Grade designation mark
(DESIGN ON AGMARK LABEL)

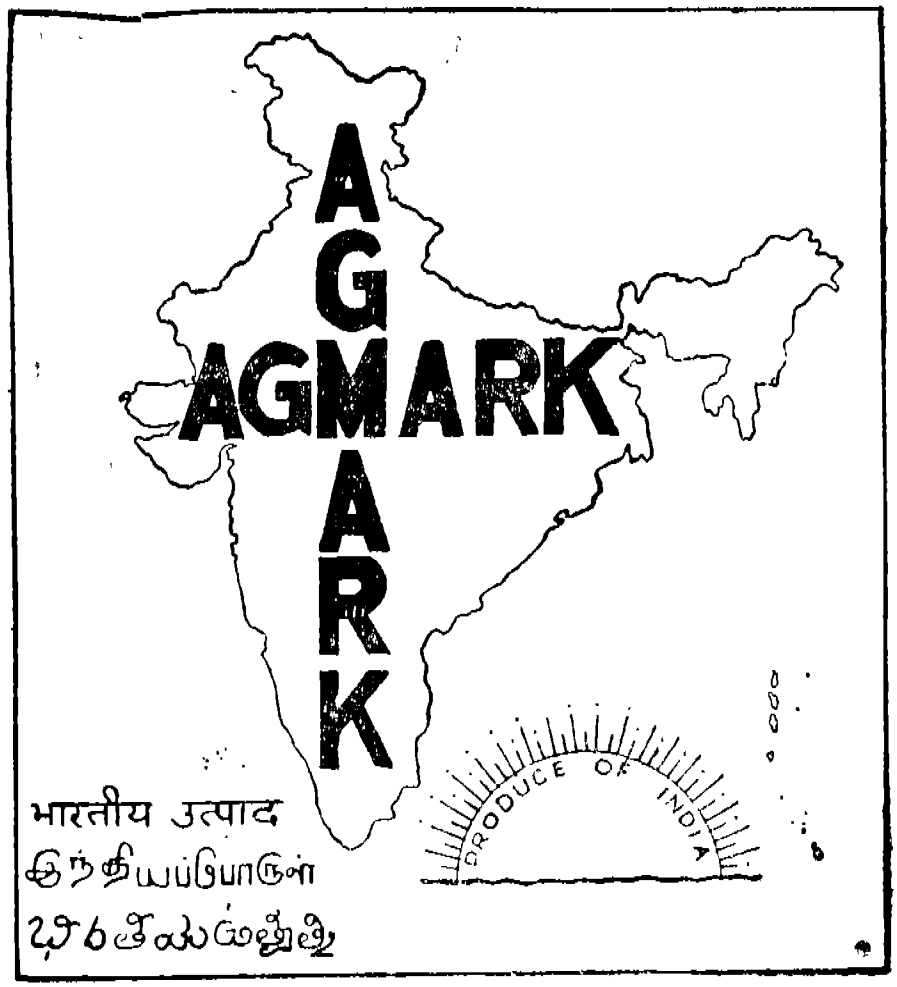

[No. 45011/4/92-M.I.]
P. JYOTI RAO, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1994

सा. का. नि. 163:—अखरोट श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1966 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम 1937 (1937 का 1) की धारा 3 की अपेक्षानुसार भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 426, तारीख 20 अगस्त, 1992 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 26 सितंबर, 1992 के पृष्ठ 1622–1625 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ऐसी तारीख से, जिसको ऐसे राजपत्र की प्रतियां, जिसमें वह अधिसूचना अन्तर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 20 अक्तूबर, 1992 को जनता को उपलब्ध कराई गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने सम्यक्त. विचार कर लिया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखरोट श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1966 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :—

नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखरोट श्रेणीकरण और चिन्हांकन (संशोधन) नियम 1993 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अखरोट श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम 1966 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 7 में—

(क) उपनियम (क) में (1) मद (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1) मजबूत, साफ ठोस के थैलों या उच्च घनत्व पालिएथिलीन (एच डी पी ई) थैली में या लकड़ी के बक्सों या गत्ते के डिब्बों में पैक किए जाएंगे। थैले साफ तौर से सिले हुए होंगे। सभी पैकेज ऐसी रीति से जैसी कि भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विहित की जाए, स्टेंसिल और मुद्रा बद्ध किए जाएंगे।

(ii) मद (ii) में, "थैला" शब्द के स्थान पर "पैकेज" शब्द रखा जाएगा।

(ख) उपनियम (ख) में, मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(i) नाइट्रोजन/कार्बन डायआक्साइड गैस पूरित या गैस प्रभावित निर्वात पैकिंग के लिए मजबूत, समुद्रयात्रा योग्य, सौंसी हुई लकड़ी के बक्से, गत्ते के डिब्बे, टिन या एलुमिनियम/एलुमिनियम लाइन वाली पालीथीन/स्तरीकारित/धातुक पालिएस्टर/नाईलोन प्लास्टिक के लचीले फिल्म पाउचों का प्रयोग किया जाएगा। अन्य प्रकार के पैकेजों का प्रवेश कराने के लिए भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या ऐसे अधिकारी का, जिसे वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

3. उक्त नियम के नियम 8 मे,—

(क) उपनियम (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(2) निर्वात में या नाइट्रोजन या कार्बन डायआक्साइड पूरित/प्रभावित पाउचों में या टिन या एलुमिनियम के आधानों में पैक किए गए छिलका रहित अखरोटों का धूमन नहीं किया जाएगा। सभी अन्य छिलका रहित अखरोटों का धूमन निर्यात से पूर्व अर्हत अनिवार्य होगा।"

(ख) उपनियम (v) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(v) निर्यात से पूर्व एगमार्क श्रेणीकृत परेषणों की पुन. जांच :—

उस दशा मे जब किसी एगमार्क श्रेणीकृत परेषण का, श्रेणीकरण की तारीख से नियत विधिमान्य अवधि मे आयात नही किया जाता है तो परेषण का निर्यात केवल तभी किया जा सकेगा जब भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसका पुनः निरीक्षण कर लिया जाता है और एगमार्क श्रेणीकरण प्रमाणपत्र किसी निश्चित अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, उसके पश्चात् उसका फिर से पुनर्विधिमान्यकरण अपेक्षित होगा। विधिमान्यता की अवधि निम्नलिखित रूप में होगी :—

(क) निर्वात में या नाइट्रोजन या कार्बन डायआक्साइड पूरित/प्रभावित पाउचों में, टिन या एलुमिनियम आधानों में पैक किए गए छिलका रहित अखरोटों के लिए—निरीक्षण की तारीख से नब्बे दिन;

(ख) ऊपर (क) से भिन्न पैक किए गए छिलके रहित अखरोट और छिलके सहित अखरोट,—

(i) सीजन के आरंभ से अगले वर्ष फरवरी के अंत तक पैक किए गए परेषणों के लिए साठ दिन,

(ii) पहली मार्च से सीजन के अन्त तक पैक किए गए परेषणों के लिए पैंतालीस दिन।

(ग) सभी दशाओं में पुनर्विधिमान्यकरण की अवधि पुनः निरीक्षण की तारीख से पैंतालीस दिन होगी।

4. उक्त नियमों की अनुसूची 2 में,—

(क) स्तंभ 1 में, "श्रेणी अभिधान" शीर्ष के नीचे "भारतीय श्रेष्ठ विशेष" शब्दों के स्थान पर "भारत श्रेष्ठ विशेष" शब्द रखा जाएंग और "X" श्रेणी के शब्दों के स्थान पर "प्रविनिर्दिष्ट" शब्द रखा जाएगा;

(ख) "परिभाषाओं" के पूर्व विद्यमान "टिप्पणी" (1) के रूप मे सख्यांकित किया जाएगा इस प्रकार यथा सख्यांकित "टिप्पण" (1) के पश्चात् निम्नलिखित "टिप्पण"

(2) अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) निर्यात श्रेणीकरण के लिए अविनिर्दिष्ट श्रेणी की, क्रेता से ऐसे विनिर्दिष्ट आदेश पर हो, जिसमे अपेक्षित क्वालिटी ओर मात्रा उपदर्शित की गई हो, केवल अनुज्ञात की जाएगी ओर

(ग) "क्रम संख्याक (5) पर दी गई 'X' श्रेणी की परिभाषा का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियमों की अनुसूची 3 में,

(क) क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक 5 और तत्संबंधी प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी; अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
"5 भारतीय हल्के हल्के टुकड़े (छोटे)	हल्का मक्खनिया या हल्का सुनहरा पीला	पूर्ण अर्ध का एक चतुर्थांश से लेकर टुकड़े जो 4.5 मि.मी. की छलनी में से न निकलेंगे।	जैसा भारतीय हल्के अर्ध के लिए अधिकथित है।	पूर्ण अर्ध के एक चतुर्थांश" से बड़े टुकड़े जिसके अंतर्गत टुकड़े (बड़े) भी है, 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे जिसमें टुकड़े 2 प्रतिशत से अधिक न हो।	

(ख) "भारतीय हल्के टुकड़े" से संबंधित क्रम संख्या 6 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6 भारतीय हल्के टुकड़े	हल्का मक्खनिया या हल्का सुनहरा पीला	छोटे टुकड़े जो 4.5 मि. मी. की छलनी में से निकल जाएं किंतु 1 मि. मी. की छलनी में से न निकले।	जैसा भारतीय हल्के अर्ध के लिए अधिकथित है।	आकार में 4.5 मि.मी. से बड़े किन्तु 7 मि.मी. से छोटे टुकड़ों का 10 प्रतिशत और आकार में 3 मि. मी. से छोटे टुकड़ों का 2 प्रतिशत।	4 प्रतिशत";

(ग) क्रम संख्या 17 पर "श्रेणी अभिधान "शीर्ष के नीचे स्तंभ 2 "X" श्रेणी शब्दों के स्थान पर "अविनिर्दिष्ट" शब्द रखे जाएंगे,

(घ) विद्यमान टिप्पण 3 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"4 निर्यात श्रेणीकरण के लिए अविनिर्दिष्ट श्रेणी को, क्रेता से ऐसे विनिर्दिष्ट आदेश पर हो, जिसमें अपेक्षित क्वालिटी/ और मात्रा उपदर्शित की गई हो, केवल अनुज्ञात किया जाएगा।";

(ङ) "X" श्रेणी की परिभाषा का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 45011/6/91—एम-II]

पी. ज्योति राव, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : —मूल नियम का.आ. 1960 तारीख 31-5-66 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(ii) तारीख 11-6-1966 में प्रकाशित किए गए और का.आ. 1407 तारीख 15-5-87 द्वारा बाद में संशोधित किए गए।

New Delhi, the 15th March, 1994

G.S.R. 163.—Whereas certain draft rules further to amend the Walnuts Grading and marking Rules, 1966 were published, as required by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), under the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development number GSR 426 dated the 20th August, 1992 at pages 1622-25 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 26th September, 1992 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public.

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 20th October, 1992;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby

makes the following rules further to amend the Walnuts Grading and Marking Rules, 1966, namely :—

RULES

1. (1) These rules may be called the Walnuts Grading and Marking (Amendment) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Walnuts Grading and Marking Rules, 1966 (hereinafter referred to as the said rules), in rule, 7—

(a) in sub-rule (a). (i) for item (i) the following shall be substituted, namely :—

"(i) shall be packed in sound, clean gunny bags or High density Poly thylene (HDPE) bags or in wooden boxes or card board cartons. The bags shall be neatly stitched. All the packages shall be stencilled and sealed in such manner as may be prescribed by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India";

(ii) in item (ii), for the word "bag", the word "package" shall be substituted.

(b) in sub rule (b), for item (i), the following shall be substituted, namely :—

"(i) Sound, seaworthy, seasoned wooden boxes, card board cartons, tins or aluminium/aluminium lined polythere/laminated metallised polysternylon phastic flexible film pouches for nitrogen/carbon-dioxide gas fitted or gas flushed vacuum packing shall be used.

For introducing other types of package, prior approval of the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or of such officer as may be authorised by him in this behalf shall be necessary."

3. In rule 8 of the said rules,—

(a) for sub-rule (ii), the following shall be substituted, namely :—

"(ii) shelled walnuts packed in vacuum or in nitrogen or carbon dioxide filled/flushed pouchts or tins. or aluminium containers may not fumigated. Fumigation of all other shelled walnuts shall be compulsory prior to export.";

(b) for sub-rule (v), the following shall be substituted, namely :—

"(v) Re-examination of Agmark graded consignments prior to export :—

In case an Agmark graded consignment is not shipped within the stipulated period of validity from the date of grading, the consignment can be exported only after it has been reinspected by the officer authorised by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India and the Certificate of Agmark grading revalidated. The revalidated certificate of Agmark grading shall also remain effective for a fixed period, after which it shall again require revalidation. The period of validity shall be as under :—

(a) shelled walnuts packed in vacuum or in nitrogen or carbondioxide filled/flushed pouches, tins or aluminium containers ninety days from the date of inspection;

(b) shelled walnuts packed other than (a) above and in-shell walnuts,—

(i) sixty days for consignments packed from the beginnings of the season to end of February next year;

(ii) forty five days for consignment packed from the first March to the end of the season.

(c) The period of revalidation in all cases shall be forty five days from the date of re-inspection."

4. In Schedule II to the said rules,—

(a) in column I under the heading 'Grade designation', for the words "Indian Super Special" the words "India Super Special" and for the words "X Grade" the words, "Non-Specified" shall be substituted;

(b) The existing 'Note' before 'Definitions' shall be numbered as (1) and after 'Note' (1) as so numbered, the following 'NOTE' (2) shall be inserted, namely :

"(2) Non-specified grade shall be allowed for export grading only against specific order from the buyer indicating the qual ty and quantity required" and

(c) The definition of 'X' grade at serial number (5) shall be omitted.

5. In Schedule-III to the said rules,—

(a) after serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number 5 and the corresponding entries shall be inserted, namely.—

"5. Indian Light Pieces (small)	Light creamy or light golden yellow	One quarter of complete halves down to pieces which shall not pass through 4.5 mm sieve	As laid down for Indian Light Halves	Pieces bigger than one quarter of complete halves including pieces (large) shall not exceed 25% of which crambs not to exceed 2 per cent.	4 per cent";

(b) for serial number 6 relating to 'Indian Light Crambs' and entries thereto, the following shall be substituted, namely :—

"6. Indian Light Crambs	Light creamy or Light golden yellow	Small pieces which shall pass through 4.5 mm sieve but shall not pass through 3 mm sieve.	As laid down for Indian Light Halves	10 per cent of pieces bigger than 4.5 mm but less than 7 mm in size and 2 per cent of pieces smaller than 3 mm in size.	4 per cent".

(c) in column 2 under the heading 'Grade designation', at serial number 17, for the words, "X Grade" the words "Non-Specified" shall be substituted;

(d) after the existing Note 3 of the following shall be added, namely :—

"4. Non-Specified grade shall be allowed for export grading only against specific order from the buyer indicating the quality and quantity required."

(e) the definition of 'X' grade', shall be omitted.

[File No. 45011(6)91-M.II]

P. JYOTI RAO, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3(ii) dated 11-6-66, vide number S.O. 1960 dated 31-5-1966 and subsequently amended vide S.O. 1407 dated 15-5-87.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994